रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 29 मार्च, 2025 ई० (चैत्र 08, 1947 शक संवत्) [संख्या 13**

### विषय-सूची

**हर भाग के पन्ने अलग.अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।**


| विषय | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा |
|---|---|---|
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य | | रु0 |
| भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस | 141–144 | 3075 |
| भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया | 349–354 | 1500 |
| भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय | | |
| भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय | | |
| भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण | ... | 975 |
| भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत | 19–24 | 975 |
| भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश | | 975 |
| भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश | ... | 975 |
| भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये | ... | 975 |
| (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट | | |
| क–भारतीय संसद के ऐक्ट | | |
| भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये | | |
| (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट | | |
| भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट | | |
| भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां | ... | 975 |
| भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि | 357–405 | 975 |
| स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र | ... | 1425 |

# भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

## विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

अधिष्ठान अनुभाग

पदोन्नत

04 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 371/वि0स0/अधि0/6/97टीसी–श्री बृज भूषण दुबे, विशेष सचिव के दिनांक 07 नवम्बर, 2024 को अकस्मात निधन हो जाने के कारण रिक्त विशेष सचिव के पद तथा उसकी श्रृंखला में संयुक्त सचिव, उपसचिव, अनुसचिव एवं अनुभाग अधिकारी के पद पर निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है–

| क्रम सं0 | नाम एवं पदनाम | पदोन्नति का पद | सातवें वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | सर्वश्री/श्रीमती– | | |
| 1 | मीनाक्षी सिन्हा, संयुक्त सचिव | विशेष सचिव | 13A |
| 2 | अखिलेश कुमार, उपसचिव | संयुक्त सचिव | 13 |
| 3 | अर्चना श्याम, अनुसचिव | उपसचिव | 12 |
| 4 | नीरज कुमार सोनकर, अनुभाग अधिकारी | अनुसचिव | 11 |
| 5 | हिमांशु पाण्डेय, समीक्षा अधिकारी | अनुभाग अधिकारी | 10 |

2– उक्त पदोन्नतियां वैभागिक आदेश संख्या-391/वि0स0/अधि0/105/88 टी0सी0 दिनांक 09 मार्च, 2022 द्वारा प्रसारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष प्रख्यापित की जाने वाली अन्तिम ज्येष्ठता सूची के अधीन परिवर्तनीय तथा प्रभावी होंगी।

सं0 372/वि0स0/अधि0/6/97 टीसी–विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या-I/23454/2024 File No. अधि0 1-03/98/2022 दिनांक 02 दिसम्बर, 2024 द्वारा श्रीमती मंजू जायसवाल, संयुक्त सचिव के दिनांक 30 नवम्बर, 2024 को अपरान्ह से सेवानिवृत्ति हो जाने के फलस्वरूप रिक्त संयुक्त सचिव के पद तथा उसकी श्रृंखला में उपसचिव, अनुसचिव एवं अनुभाग अधिकारी के पद पर निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद एवं वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है–

| क्रम सं0 | नाम एवं पदनाम | पदोन्नति का पद | सातवें वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | सर्वश्री/श्रीमती– | | |
| 1 | उमेश चन्द्र पाण्डेय, उपसचिव | संयुक्त सचिव | 13 |
| 2 | सरिका भटनागर, अनुसचिव | उपसचिव | 12 |
| 3 | संतोष कुमार बिन्द, अनुभाग अधिकारी | अनुसचिव | 11 |
| 4 | सुबोध कुमार, समीक्षा अधिकारी | अनुभाग अधिकारी | 10 |

2– उक्त पदोन्नतियां वैभागिक आदेश संख्या-391 / वि0स0 / अधि0 / 105 / 88 टी0सी0 दिनांक 09 मार्च, 2022 द्वारा प्रसारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष प्रख्यापित की जाने वाली अन्तिम ज्येष्ठता सूची के अधीन परिवर्तनीय तथा प्रभावी होंगी।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

## खाद्य तथा रसद विभाग

अनुभाग–1
पदोन्नति
28 जनवरी, 2025 ई0

सं0 27-50 / 29-1-2025–श्री सत्यदेव (ज्येष्ठता क्रमांक–78) संयुक्त आयुक्त (खाद्य) वेतन बैंड–3, 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन रु0 7,600) को नियमित चयनोंपरान्त अपर आयुक्त (खाद्य) वेतन बैंड–4, 37,400–67,000 (ग्रेड वेतन रु0 8,700) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–श्री सत्यदेव की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 27-51 / 29-1-2025–श्रीमती राजन गोयल (ज्येष्ठता क्रमांक–85) उपायुक्त (खाद्य) वेतन बैंड–3, 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन रु0 6,600) को नियमित चयनोंपरान्त संयुक्त आयुक्त (खाद्य) वेतन बैंड–3, 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन रु0 7,600) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–श्रीमती राजन गोयल की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 27-52 / 29-1-2025–श्री नरेन्द्र तिवारी (ज्येष्ठता क्रमांक–127) जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी–2 वेतनमान–2, वेतन बैंड, 9,300–34,800 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) को नियमित चयनोंपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी–1 वेतन बैंड–3, 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) के पद पर दिनांक 14 जनवरी, 2022 से नोशनल पदोन्नति प्रदान करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान किये जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री नरेन्द्र तिवारी की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 27-53 / 29-1-2025–श्री अमित कुमार तिवारी (ज्येष्ठता क्रमांक–133) जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी–2 वेतनमान–2, वेतन बैंड, 9,300–34,800 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) को नियमित चयनोंपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी–1 वेतन बैंड–3, 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री अमित कुमार तिवारी की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 27-54 / 29-1-2025–श्री सुरेन्द्र यादव (ज्येष्ठता क्रमांक–137) जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी–2 वेतनमान–2, वेतन बैंड, 9,300–34,800 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) को नियमित चयनोंपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी–1 वेतन बैंड–3,

15,600–39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) के पद पर दिनांक 14 जनवरी, 2022 से नोशनल पदोन्नति प्रदान करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान किये जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री सुरेन्द्र यादव की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 27-55/29-1-2025–श्री उमेश चन्द्र मिश्र (ज्येष्ठता क्रमांक–143) जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी–2 वेतनमान–2, वेतन बैंड, 9,300–34,800 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) को नियमित चयनोंपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी–1 वेतन बैंड–3, 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री उमेश चन्द्र मिश्र की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 27-56/29-1-2025–श्री मनीष कुमार सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक–144) जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी–2 वेतनमान–2, वेतन बैंड, 9,300–34,800 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) को नियमित चयनोंपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी–1 वेतन बैंड–3, 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री मनीष कुमार सिंह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 27-57/29-1-2025–श्री राकेश तिवारी (ज्येष्ठता क्रमांक–153) जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी–2 वेतनमान–2, वेतन बैंड, 9,300–34,800 (ग्रेड वेतन रु0 4,800) को नियमित चयनोंपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी–1 वेतन बैंड–3, 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन रु0 5,400) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान किये जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री राकेश तिवारी की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 27-58/29-1-2025–श्री रंग बहादुर प्रसाद (ज्येष्ठता क्रमांक–71) सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी वेतन बैंड–3, 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन रु0 6,600) को नियमित चयनोंपरान्त को नियमित चयनोंपरान्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, वेतन बैंड–3, 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन रु0 7,600) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री रंग बहादुर प्रसाद की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अतुल सिंह,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–52 हिन्दी गजट–भाग 1–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**प्रयागराज, शनिवार, 29 मार्च, 2025 ई० (चैत्र 08, 1947 शक संवत्)**

**भाग 1-क**

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

## जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

## गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीडा

**प्रारूप–19**

**समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा**

**[(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)]**

**अधिसूचना**

25 फरवरी, 2025 ई0

सं0 889/वि0भू0अ0अ0/गीडा–गोरखपुर–गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीडा के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा–जनपद गोरखपुर में सुनियोजित औद्योगिक विकास परियोजना हेतु जिला–गोरखपुर, तहसील–सहजनवां, परगना–हसनपुर मगहर, ग्राम–सहबाजगंज में स्थित 0.307 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या–458/आठ–वि0भू0अ0अ0 (गीडा) गोरखपुर दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक–02 मार्च, 2024 को प्रकाशित की गयी थी। विस्थापन न होने के कारण डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा–19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमिका क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला–गोरखपुर स्थित भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है। तहसील की आख्या के अनुसार अधिग्रहण से विस्थापन नहीं हो रहा है।

**अनुसूची–क**

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

| जनपद | तहसील | परगना | ग्राम | भूखण्ड संख्या | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | हेक्टेयर |
| गोरखपुर | सहजनवां | हसनपुर मगहर | सहबाजगंज | 433 | 0.0240 |
| | | | | 434 | 0.0920 |
| | | | | 435 | 0.0830 |
| | | | | 496मि0 | 0.0800 |
| | | | | 432 | 0.0280 |
| | | | | **योग . .** | **0.3070** |

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

| जनपद | तहसील | परगना | ग्राम | भूखण्ड संख्या | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | हेक्टेयर |
| शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

**टिप्पणी**–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
समुचित सरकार/कलेक्टर,
गोरखपुर।

**GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH**

**DEPARTMENT, GORAKHPUR INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY**

Declaration by Appropriate Government/Collector

sub rule (1) of rule 27

(Under Sub-section (1) of Section 19 of the Act)

NOTIFICATION

*February* 25, 2025

No. 889/S.L.A.O./GIDA/G.K.P.--Whereas preliminary notification No. 458/spl.- l.a.o.-Gida.-gkp. dated 08-12-2023 was issued under sub-section (1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 in respect of 0.307 hectares of land in Village-Sahbaajganj, Paragana-Hasanpurmaghar, Tehsil-Sahjanwa, District-Gorakhpur is required for public purpose, namely project- Industrial Development in Gorakhpur through

Gorakhpur Industrial Development Authority and lastly published on dated March 02, 2023. The Deputy Collector/Assistant Collector was not appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the Section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under under section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land has not been identified as the rehabilitation and resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families. Because total zero families are likely to be displaced due to land acquisition.

**SCHEDULE-A**

(Land under proposed acquisition)

| District | Tehsil | Pargana | Village | Plot no. | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | *Hectare* |
| Gorakhpur | Sahjanwa | Hasanpurmaghar | Sahbaajganj | 433 | 0.0240 |
| Do. | Do. | Do. | Do. | 434 | 0.0920 |
| Do. | Do. | Do. | Do. | 435 | 0.0830 |
| Do. | Do. | Do. | Do. | 496Mi. | 0.0800 |
| Do. | Do. | Do. | Do. | 432 | 0.0280 |
| | | | | Total . . | **0.3070** |

**SCHEDULE-B**

(Land identified as settlement area for displaced families)

| District | Tehsil | Pargana | Village | Plot no. | Area earmarked for rehabilitation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | *Hectare* |
| Zero | Zero | Zero | Zero | Zero | Zero |

NOTE-A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
*Collector, Gorkhpur.*

# गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीडा

## समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

## (अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

## कार्यालय ज्ञाप

## शुद्धि-पत्र

06 मार्च, 2025 ई0

सं0 895/आठ–वि0भू0अ0अ0–गीडा–गोरखपुर–गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीडा द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा–जनपद गोरखपुर में सुनियोजित औद्योगिक विकास परियोजनान्तर्गत मेसर्स "गैलेण्ट इस्पात" की सीमेण्ट फैक्ट्री की स्थापना हेतु सीमेण्ट प्लाण्ट के पूरब पूर्व से संचालित एप्रोच रोड से जोड़ने हेतु जिला–गोरखपुर, तहसील–सहजनवां, परगना–हसनपुर मगहर, ग्राम–सहबाजगंज में स्थित 0.307 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–19 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या–889/आठ–विभू0अ0अ0–गीडा, गोरखपुर–2025, दिनांक 25 फरवरी, 2025 में परगना–भौवा पार अंकित है, के स्थान पर हसनपुर मगहर पढ़ा एवं समझा जाये।

2–अधिसूचना संख्या–889/आठ–वि0भू0अ0अ0–गीडा, गोरखपुर–2025, दिनांक 25 फरवरी, 2025 का शेष प्राविधान यथावत रहेगा।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर,
गोरखपुर।

# कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

26 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 5010/जी0-227/2024-25/धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खलीलाबाद परगना मगहर पूरब जनपद संतकबीर नगर के ग्राम मोहम्मदपुर कठार में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5011/जी0-167/2024-25/धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना नर्वल जनपद कानपुर नगर के ग्राम नेवादा बौसर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

03 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 5133/जी0-241/2024-25/धारा-52(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बहेड़ी परगना चौमहला जनपद बरेली के ग्राम लोधीपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5134 / जी0-201 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना कन्तित जनपद मीरजापुर के ग्राम देवरी उत्तर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5135 / जी0-161 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बस्ती (सदर) परगना महुली पश्चिम जनपद बस्ती के ग्राम चिलवनिया, तप्पा-चरकैला में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5136 / जी0-178 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी परगना बांसी पूरब जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम डड़वार शुक्ल में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5137 / जी0-170 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील स्वायजपुर परगना कटियारी जनपद हरदोई के ग्राम दयालपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5138 / जी0-205 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बुढ़ाना बांगर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5139 / जी0-201 / 2024-25 / धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना कन्तित जनपद मीरजापुर के ग्राम सुबाव कला में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5140/जी0-52(1)/2017-18(आपत्ति)(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना छिबरामऊ जनपद कन्नौज के ग्राम आराजीवन भगवन्तपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5141/जी0-52(1)/2017-18(आपत्ति)(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना कन्नौज जनपद कन्नौज के ग्राम गदनपुर ठठिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

भानु चन्द्र गोस्वामी,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—52 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**प्रयागराज, शनिवार, 29 मार्च, 2025 ई० (चैत्र 08, 1947 शक संवत्)**

**भाग 3**

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत।

### खण्ड-घ–जिला पंचायत,

### कार्यालय, जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर

### दुकान आवंटन किराया सम्बन्धी उपविधि–2024

### प्रस्ताव

07 मार्च, 2025 ई0

सं0 921/तेईस–03(2024–25)–जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद-सिद्धार्थनगर में अपने स्वामित्व की भूमि, भवन एंव दुकान का आवंटन एवं किराया पर दिये जाने को नियमित व नियंत्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा-143 के साथ पठित धारा-239 (2) के अधीन दी गई शक्ति का प्रयोग कर उपविधि बनाई गयी है, जो जिला पंचायत, सदन की बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 के प्रस्ताव सं0–05 द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। प्रस्तावित उपविधि के व्यवस्था के सम्बन्ध में जनमानस से सुझाव/आपत्ति आंमत्रित किया गया जिस पर कोई सुझाव/आपत्ति प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्राप्त नही हुआ। फलस्वरूप निम्न उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित है। यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

**उपविधियां–**

1–यह उपविधि अचल सम्पत्ति व्यवस्था उपविधि कहलायेगी।

2–यह उपविधि जनपद-सिद्धार्थनगर में जिला परिषद्/पंचायत, सिद्धार्थनगर के भूमि, भवन एवं दुकानों पर प्रभावी होगी।

3–यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

4–उपविधि में निम्नलिखित शब्दों का क्या तात्पर्य होगा उसके सामने अंकित कर दिया गया है।

(क) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर से होगा।

(ख) ''मुख्य अधिकारी'' का तात्पर्य मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर से होगा।

(ग) ''अपर मुख्य अधिकारी'' का तात्पर्य जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर के अपर मुख्य अधिकारी से होगा।

(घ) ''कार्य अधिकारी'' का तात्पर्य जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर के कार्य अधिकारी से होगा।

(ङ) ''कर अधिकारी'' का तात्पर्य जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर के कर अधिकारी से होगा।

(च) परिषद्/पंचायत का तात्पर्य जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर से होगा।

(छ) भवन का तात्पर्य जिला परिषद्/पंचायत की दुकानों, आवासों एंव पशुरोधालयों/मवेशीखानों/काजी हाउसों अथवा अन्य किसी प्रकार की इमारत से है।

(ज) ''भूमि'' का तात्पर्य जिला परिषद्/पंचायत, सिद्धार्थनगर की समस्त प्रकार की भूमि से है, जो जिला पंचायत के नाम से हो।

(झ) ''किराया'' का तात्पर्य, मासिक किराया अथवा पट्टे के वार्षिक अथवा मासिक किराया से होगा।

(ञ) ''आवंटी'' का तात्पर्य किरायेदार अथवा पट्टेदार से होगा।

(ट) ''उत्तराधिकारी'' का तात्पर्य आवंटी के मृत्यु के उपरान्त उनके पति, पत्नी, पुत्र पुजातीय वंशज/रजिस्टर्ड रूप से गोद लिये गये बच्चे व पुत्री, जो आवंटी के साथ सामान्यतः रहती हो।

5–जिला पंचायत अपने किसी भूमि, भवन एवं दुकान को किराया पर दे सकती है जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, अधनियम, 1961 की धाराओं, नियमों, उपनियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत होगा।

6–जिला पंचायत अपनी भूमि पर दुकानें, आवास एवं अन्य भवन एवं इमारत का निर्माण कराकर मासिक किराया पर नीलाम लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नीलामी, बोली/टेण्डर के माध्यम से दे सकती है, जो इस उपविधि के उपनियमों के तहत दिया गया माना जायेगा। लेकिन दुकान बेरोजगार एवं व्यवसाई व्यक्ति को व्यवसाय करने हेतु नियमों एवं शर्तों के अधीन दिया जायेगा।

7–किराया निर्धारण इस क्षेत्र में परिषद् के भवनों के अनुरूप जो शुल्क अन्य कोई ले रहा हो, से कम नहीं रखा जायेगा। इसका निर्धारण अभियन्ता, जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा। अभियन्ता के न होने की दशा में कार्य अधिकारी के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर की जायेगी।

8–कितने समय के लिये आवंटन किया जा रहा है इसका निर्धारण अपर मुख्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

9–इस उपविधि के गजट में प्रकाशित होने पर, जो पुराने किरायेदार हैं तथा उनका किराया अगल–बगल के दुकानों से कम/आवश्यक है तो उनका किराया अपर मुख्य अधिकारी द्वारा संशोधित करके एक समान करते हुये पूर्व किरायेदारों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा परिषद्/पंचायत में उपलब्ध पते पर सूचित कर दिया जायेगा। यदि रजिस्टर्ड सूचना किसी भी कारण वापस आयेंगे तो उसकी प्रतिलिपि आवंटी को आवंटित भूमि, भवन या दुकान पर जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर के कर्मचारी द्वारा चस्पा कर दिया जायेगा एवं केवल कर्मचारी की रिपोर्ट पर सूचना चस्पा कर दिया गया आवंटी पर सूचना तामील माना जायेगा।

10–यदि किसी भी व्यक्ति को अपर मुख्य अधिकारी के आदेश के विरुद्ध कुछ कहना हो तो उसे रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्ति के एवं नोटिस को आवंटित भूमि, भवन या दुकान पर चस्पा होने के 30 दिन के अन्दर अपील अध्यक्ष के समक्ष दाखिल करना होगा. यदि विलम्ब होगा तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। अपील पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

11–इस उपविधि के गजट प्रकाशन के पश्चात् यदि किसी भूमि, भवन एवं दुकान को आवंटित किया जाता है, तो उस पर जमानत एवं प्रीमियम तथा किराया भी लिया जायेगा जिसका निर्धारण अपर मुख्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

12–यदि आवंटन तीन वर्ष के लिये किया जाता है तो प्रत्येक तीन वर्ष पर नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा। आवंटी द्वारा यदि नियमों उपनियमों का उल्लंघन न किया गया हो तो नवीनीकरण अपर मुख्य अधिकारी द्वारा कर दिया जायेगा परन्तु यदि जिला परिषद्/पंचायत को उक्त भूमि, भवन या दुकान की आवश्यकता है तो उसे नोटिस में 30 दिन का समय देकर खाली कराने की भी कार्यवाही कर सकते हैं। यदि आवंटी द्वारा नियमों उपनियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया होगा तो आवंटन का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु आवंटी को स्टाम्प पेपर प्रस्तुत कर अनुबन्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

13–आवंटन आदेश के प्राप्ति से पूर्व आवंटी को जिला परिषद्/पंचायत, सिद्धार्थनगर में जनरल स्टाम्प मूल्य पर इकरारनामा करना अनिवार्य होगा। यदि इकरारनामा किये बगैर किसी भूमि, भवन व दुकान पर कब्जा करते हैं तो यह अनाधिकृत कब्जा होगा तथा उसे नियमानुसार खाली कराया जा सकता है भले ही उन्होने किराया जमा कर दिया हो।

14–आवंटित दुकान पर किराया के अतिरिक्त यदि किसी प्रकार का लाइसेन्स, टैक्स अथवा लेवी भूमि, भवन व दुकान पर नगर क्षेत्र अथवा शासन द्वारा निर्धारित होता है तो उसे आवंटी को ही देना होगा।

15–आवंटी, आवंटित दुकान, भवन अथवा भूमि पर कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो प्रतिबन्धित हो एवं अगल–बगल के लोगों को परेशानी हो।

16–आवंटी, आवंटित दुकान, भवन अथवा भूमि को किसी अन्य को सब–लेट नहीं कर सकता भले ही वह व्यक्ति उसके परिवार का ही हो।

17–आवंटी भूमि, भवन या दुकान में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन बगैर अपर मुख्य अधिकारी के लिखित अनुमति के नहीं कर सकता।

18–आवासीय भवन यदि जिला पंचायत कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किया गया हो या किया जाय तो उसे बाजार रेट पर आवंटित किया जाय, जो किसी भी दशा में स्टैण्डर्ड रेट से कम न हो।

19–जिला पंचायत को अपने लिये व्यवसायिक दुकान बनाने हेतु भूमि व भवन की आवश्यकता पड़ने एंव कर्मचारियों के लिये आवास की आवश्यकता पड़ने पर 30 दिन (तीस दिन) का समय देते हुये नोटिस/सूचना देकर आवंटन निरस्त करके भूमि, भवन अपर मुख्य अधिकारी खाली करा सकते हैं।

20–प्रत्येक तीसरे वर्ष बाद अपर मुख्य अधिकारी किराया की पुनरीक्षित कर सकते हैं जो उस तिथि को लागू शुल्क का 25 प्रतिशत तक हो सकता है।

21–दुकान/भवन के मरम्मत की आवश्यकता पड़ने पर आवंटी द्वारा विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विभाग द्वारा 30 दिनों के अन्दर मरम्मत कार्य नही कराया जाता है तो आवंटी द्वारा अपर मुख्य अधिकारी से स्वयं मरम्मत कराने हेतु प्रार्थना-पत्र देकर मरम्मत कराने हेतु अनुमति प्राप्त करना होगा।

22–किसी आवंटी या व्यक्ति को परिषद्/पंचायत में उपलब्ध पता पर आवंटन निरस्तीकरण बकाया किराया की धनराशि व अन्य विशेष सूचना/नोटिस डाक द्वारा दिया जायेगा। रजिस्टर्ड डाक वापस होने की दशा में इसकी एक प्रतिलिपि आवंटी को आवंटित भूमि, भवन या दुकान पर जिला परिषद्/पंचायत के कर्मचारी द्वारा चस्पा करा दिया जायेगा। इस प्रकार दी गयी नोटिस या सूचना उस व्यक्ति पर तामील मानी जायेगी।

23–किराया की वसूली उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम के अध्याय 8 की धाराओं के अन्तर्गत वसूली व्यय के साथ किया जा सकता है। यदि आवश्यकता पड़ी तो आर०सी० जारी करके राजस्व डिपार्टमेन्ट से भी वसूली कराई जा सकती है।

24–परिषद्/जिला पंचायत के किसी भी प्रकार के भूमि, भवन या दुकान पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 के धाराओं, नियमों, उपनियमों, पंचायतीराज के शासनादेशों एवं इस उपविधि में वर्णित उपनियमों के अतिरिक्त अन्य कोई नियम व आदेश प्रभावी नहीं होंगे।

25–आवंटी द्वारा उपविधि एवं आवंटन के नियमों एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवंटी के मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी को आवंटित किया जा सकेगा, जिसके लिये क्षेत्रीय सहायक राजस्व निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक द्वारा नियमों एवं अनुबन्ध शर्तों के पालन से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही आवंटित किया जा सकेगा, जिसके लिये अतिरिक्त प्रीमियम के रूप में पूर्व में जमा प्रीमियम की आधी धनराशि तथा वर्तमान किराया में बढोत्तरी करना आवश्यक होगा।

26–दुकान के आवंटन हेतु अपर मुख्य अधिकारी द्वारा समिति नामित की जायेगी। नामित समिति के संस्तुति के आधार पर दुकान आवंटन की स्वीकृति अपर मुख्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

27–दुकान का आवंटन खुली बोली अथवा टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी विज्ञप्ति किन्ही दो स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराकर खुली बोली/टेण्डर के माध्यम से सर्वोच्च बोलीदाता/ टेण्डरदाता को ही आवंटन किया जायेगा।

28–प्रथम बोलीदाता/टेण्डरदाता को सर्वोच्च बोली की सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। यदि प्रथम सर्वोच्च बोलीदाता/टेण्डरदाता द्वारा नीलामी की धनराशि जमा नही किया जाता है तो जमानत की धनराशि जब्त करते हुये दूसरे नम्बर की बोलीदाता/टेण्डरदाता से नीलामी की धनराशि जमा कराया जा सकता है, परन्तु विभागीय बोली से अधिक धनराशि होनी चाहिये।

29–आवंटित व्यक्ति द्वारा दुकान का हस्तानान्तरण किसी भी दशा या परिस्थिति में स्वयं नही किया जायेगा। अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ही दुकान का हस्तानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी, परन्तु हस्तानान्तरण हेतु वर्तमान आवंटी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र दिया जायेगा कि हस्तानान्तरण वाला व्यक्ति आवंटी का बिजनेस पार्टनर है। दुकान का बकाया किराया एवं वर्तमान किराया बिजनेस पार्टनर द्वारा ही जमा किया जायेगा। मैं (आंवटी) बकाया एवं वर्तमान किराया जमा करने एवं दुकान संचालन करने में अक्षम हूं। आवंटी द्वारा दिया गया शपथ–पत्र का जांच कर अधिकारी/कार्य अधिकारी से शपथ-पत्र में दी गयी सूचना के सम्बन्ध में स्थलीय जांच कराया जायेगा। जांच अधिकारी द्वारा जांच सही पाये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा दुकान का हस्तानान्तरण किया जायेगा, जिसके लिये हस्तानान्तरण हेतु पुनः अतिरिक्त प्रीमियम जमा करायी जायेगी, जो पूर्व में जमा प्रीमियम से किसी भी दशा में कम नही होगा एवं वर्तमान किराये में वृद्धि किया जाना आवश्यक होगा, जो वर्तमान किराये में कम से कम 25 प्रतिशत से कम की वृद्धि नही होगी। साथ ही पूर्व आवंटी द्वारा जमा प्रीमियम की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जिसे वापस नही किया जायेगा।

30–किसी भी दुकान पर बहुत अधिक किराया बकाया होने की दशा/परिस्थिति में जब क्षेत्रीय सहायक राजस्व निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक द्वारा इस आशय का रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाये कि आवंटी द्वारा दुकान को किसी अन्य व्यक्ति से संचालित कराया जा रहा है, जिससे उक्त दुकान पर 03 वर्ष के किराया के बराबर की धनराशि बकाया है तथा आवंटी द्वारा उक्त दुकान का अनुबन्ध का नवीनीकरण भी नही कराया गया है तथा आवंटी को बार–बार मौखिक एवं लिखित रूप से सूचित करने के बाद भी किराया जमा नही किया जा रहा है, जिससे किराया का बकाया बढ़ता जा रहा तो उक्त विभागीय रिपोर्ट पर कर अधिकारी/कार्य अधिकारी से स्थलीय जांच कराकर सही पाये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उक्त दुकान का आवंटन निरस्त कर पूर्व में जमा प्रीमियम जब्त करते हुये अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नियमों एवं शर्तों के अधीन (पैरा–30 के अनुसार अतिरिक्त प्रीमियम एवं वर्तमान किराया में बढ़ोत्तरी कर) एवं उक्त दुकान का बकाया किराया दुकान संचालित कर रहे व्यक्ति से जमा कराते हुये उक्त दुकान को उस बेरोजगार एवं व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को स्वंय का व्यवसाय करने हेतु हस्तानान्तरण किया जा सकता है।

31–अपीलीय अधिकारी अध्यक्ष, जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर होंगे। अपर मुख्य अधिकारी के किसी आदेश के विपरीत आवंटी 30 दिन (तीस दिन) के अन्दर अपील अध्यक्ष के समक्ष कर सकता है, परन्तु अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

## दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत, अधिनियम की धारा–240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधियों में किसी भी उपनियम/शर्तों का उल्लघंन करने पर उल्लंघन कर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर रू0–1000/–अर्थ दण्ड दिया जा सकता है, तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहा हो रू0–50/–प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना न अदा करने पर तीन माह का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
अखिलेश सिंह,
आयुक्त,
बस्ती मण्डल, बस्ती।

पी0एस0यू0पी0–52 हिन्दी गजट–भाग 3–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**प्रयागराज, शनिवार, 29 मार्च, 2025 ई० (चैत्र 08, 1947 शक संवत्)**

**भाग 8**

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

**NOTICE**

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
*Director*.

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

### अधिनियम, 1965

### (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, 1966) की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिस

### (भूमि अर्जन अनुभाग)

### सूचना

07 फरवरी, 2025 ई0

सं0 1705/एल0ए0सी0/एच0क्यू0/1–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-28 के अधीन नोटिस के माध्यम से मऊ नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु "गोरखपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मऊ" अधिसूचित की गयी है। योजना में समाविष्ट ग्रामों के क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार है–

उत्तर–खसरा संख्या-437, 272 ग्राम-शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा संख्या-37, 150 भाग, 148, 147, 202, 201, 200, 198, 195, 194, 188, 187, 278, 287, 289, 291, 282, 303 भाग, 300, 301 ग्राम-रेवरीडीह, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा संख्या-379, 380, 384 ग्राम-डाड़ीखास, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

पूरब–खसरा संख्या-352, 432 ग्राम-डाड़ीखास, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

दक्षिण–खसरा संख्या-4, 3, 1 ग्राम-डोड़ापुर, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा संख्या-240 भाग, 214, 203 भाग, 202 भाग, 174, 177, 89 भाग, 88 भाग, 63, 62, 54, 53, 51 भाग, 52, 40, 41, 47, 42/241, 42, 43, 56 ग्राम-मेघई मु0 शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा संख्या-274, 272, 271, 270, 268, 267, 255, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 226, 196, 195 भाग, ग्राम-मुहम्मदपुर मु0 शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ। खसरा सं0-1139 भाग, 1122, 1123, 1124 भाग, 1125 भाग, 1127, 1134, 1135, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1060, 1061, 594, 593, 592, 590, 588, 587, 575 ग्राम-शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

पश्चिम– खसरा सं0-561 भाग, 411, 409, 405, 404, 398 भाग, 394, 392, 391, 390 भाग, 384, 380, 379, 373 ग्राम-शहरोज, परगना-घोसी, तहसील-मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, भवन सं0-85, प्रथम तल, ब्रह्मस्थान, आजमगढ़ में किसी भी कार्यदिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, अधिनियम, 1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट शुल्क/विकास शुल्क भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, भवन सं0-85, प्रथम तल, ब्रह्मस्थान, आजमगढ़ में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिये।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त

## UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKASH PARISAD

[Land Acquisition Section]

*February* 07, 2025

[Notice Under Section-28 of The Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965,

U. P. Act. No.-1, 1966]

### NOTICE

No. 1705/L.A.C./H.Q./1–Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad has framed a scheme, called "Gorakhpur Marg Bhumi Vikas Evam Grihasthan Yojana, Mau" to solve the housing problem of the Mau City. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows:

*North*– Khasra no. 437, 272 Village-Sahroj, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau. Khasra no. 37, 150 Part, 148, 147, 202, 201, 200, 198, 195, 194, 188, 187, 278, 287, 289, 291, 282, 303 Part, 300, 301 Village-Revridih, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau. Khasra no. 379, 380 and 384 Village-Dandikhas, Pargana- Ghosi, Tehsil- Maunath Bhanjan, District-Mau.

*East*–Khasra no. 352 and 432 Village-Dandikhas, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau.

*South*– Khasra no. 4, 3, 1 Village-Dodapur, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau. Khasra no. 240 Part, 214, 203 Part, 202 Part, 174, 177, 89 Part, 88 Part, 63, 62, 54, 53, 51 Part, 52, 40, 41, 47, 42/241, 42, 43, 56 Village-Meghai Mu. Sahroj, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau. Khasra no. 274, 272, 271, 270, 268, 267, 255, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 226, 196, 195 Part Village-Muhammadpur Mu. Sahroj, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau. Khasra No. 1139 Part, 1122, 1123, 1124 Part, 1125 Part, 1127, 1134, 1135, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1060, 1061, 594, 593, 592, 590, 588, 587 and 575 Village-Sahroj, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau.

*West*– Khasra no. 561 Part, 411, 409, 405, 404, 398 Part, 394, 392, 391, 390 Part, 384, 380, 379, 373 Village-Sahroj, Pargana-Ghosi, Tehsil-Maunath Bhanjan, District-Mau.

The details of Land, falling under the scheme and map can be seen in the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg. Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division Varanasi-03, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, House No.-85, First Floor, Brahmsthan, Azamgarh on any working day between 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

Land Owners will be liable to pay Betterment fee/Development charges of their situated structures in the scheme according to requisite provisions of Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Act, 1965.

Objections against the scheme shall be received at the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or at the Office of Executive Engineer, Construction Division Varanasi-03, U.P. Avas Evam Vikas Parishad, House No.- 85, First Floor, Brahmsthan, Azamgarh within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh, Gazette of this notice. After passing of the due date, no objection shall be entertained. In the objection to be submitted, the correct name of the scheme and the land/building/Village Name/Khasra Number/Area of the land and all other details of the objector included in the scheme should be clearly mentioned.

Dr. Balkar Singh,
*Housing Commissioner.*

# कार्यालय, नगर निगम, सहारनपुर

## अधिसूचना

दिनांक 08 अगस्त, 2024 ई0

सं0–209/स्वा0वि0/न0नि0सहा0/2024–25 मा0 कार्यकारिणी का प्रस्ताव सं0 18 दिनांक 29 नवम्बर, 2023 तथा बोर्ड प्रस्ताव सं0 15 दिनांक 24 जनवरी, 2024 में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के लिये राज्य मॉडल उपविधि के क्रम में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपविधि 2023 को सर्वसम्मति से पारित किये जाने के अनुपालन में नगर निगम सहारनपुर के अन्तर्गत फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM) के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-541 के अधीन एवं उसके सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के आलोक में ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अन्तर्गत घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/किट/सोख्ता) के संग्रहण ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के सम्बन्ध में बनायी गयी उपविधियों की अधिसूचना के सम्बन्ध में नगर क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव 15 दिवस के अन्दर प्राप्त करने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालय के पत्र सं0 559/स्वा0वि0/न0नि0सहा0/2023-24 दिनांक 15 मार्च, 2024 में दैनिक जागरण व अमर उजाला में दिनांक 16 मार्च, 2024 को कराया गया था। निर्धारित अवधि 15 दिवस व्यतीत हो जाने के उपरान्त कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुआ है। अतः निम्नलिखित नगर निगम सहारनपुर फीकल स्लज सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM) उपविधि 2023 की अधिसूचना गजट प्रकाशन तिथि में प्रभावी होगी।

### क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि नगर निगम सहारनपुर की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमे सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर निगम सहारनपुर भवनों पर लागू होगा।

## अध्याय - I

### प्रारंभिक

**1. संक्षेप–शीर्षक, विस्तार और आरंभ**

(i) इन उपविधियों को नगर निगम सहारनपुर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 2023" कहा जायेगा।

(ii) ये गजट में प्रकाशित होने की तारीख से क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परिसीमा के अंदर लागू होंगी।

**2. परिभाषा**

I) **"एक्सेस कवर"** का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रख-रखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो;

II) **"अपेलेट बॉडी"** निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और या, कोई अन्य संबंधित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से संबंधित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है;

III) **"फीकल स्लज या सेप्टेज का को–ट्रीटमेंट"** उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एसटीपी) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफएसएस) का भी उपचार किया जाता है;

IV) **"को–ट्रीटमेंट फैसिलिटी"** का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो;

V) **"विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली"** का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं;

VI) **"नियुक्त अधिकारी"** निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे (नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो;

VII) **"डिस्लजिंग"** का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया;

VIII) **"निस्तारण"** का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन;

IX) **"एफ्लूयंट"** का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव);

X) **"फीकल स्लज एवं सेप्टेज"** का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री;

XI) **"फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)"** का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुदार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र;

XII) **"ग्रे वाटर"** का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नान घर का पानी हो सकता है;

XIII) **"होस्ट यूएलबी"** का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय 'होस्ट' बना रहेगा;

XIV) **"ईनसैनिटरी लेट्रिन्स"** का तात्पर्य उन शौचालयों है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है;

XV) **"लाइसेंस"** का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति है; जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है;

XVI) **"लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर"** (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो;

XVII) **"अधिसूचित स्थान"** का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान;

XVIII) **"ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)"** ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भूखण्ड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भूखण्ड पर स्वच्छता 'घरेलू शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भूखण्ड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती हैं;

XIX) **"ऑपरेटर"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है;

XX) **"मालिक"** का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो;

XXI) **"व्यक्ति"** का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं;

XXII) **"सैनिटरी लेट्रिन्स"** का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किए गए डिजाइन विनिर्देश और दिशानिर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो;

XXIII) **"सेप्टिक टैंक"** भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है।

XXIV) **"शेडयूल्ड डीस्लजिंग"** का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2–3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

XXV) **"सेप्टेज"** का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज एवं सेप्टेज।

XXVI) **"सीवेज"** का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

XXVII) **"सीवर"** वो प्रणाली (सीवर लाइन/पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।

XXVIII) **"सीवेज पम्पिंग स्टेशन"** का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पंप-हाउस का भण्डारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पंप करके भेजा जाता है।

XXIX) **"सीवेज उपचार संयंत्र"** का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

XXX) **"निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी"** का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिये गये कर्मचारी।

XXXI) **"परिवहन या ढुलाई"** का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफएसएस) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।

XXXII) **"उपचार"** का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए एफएसएस/मल जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।

XXXIII) **"उपचार सुविधा"** का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशा निर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल

XXXIV) **"यूएलबी क्लस्टर"** का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय के साथ एमओयू की आवश्यकता होगी।

XXXV) **"निकाय पंजीकृत (वैक्युम) टैंक"** का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

XXXVI) **"निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)"** ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पम्प और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

XXXVII) **"अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर)/यूज्ड वॉटर"** का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा-जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

XXXVIII) **"कर्मी"** का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किये गये हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार/निस्तारन उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

## अध्याय - II

अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

### 3. परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें अन्य के अलावा शामिल है आवासीय और व्यावसायिक, प्रस्तावित या वर्तमान) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्:

I) यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण कराकर करे।

II) अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

III) यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाय, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट-1)।

IV) वे परिपत्तियाँ जिनका क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है, तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाय ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/फ्लशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाय ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

## अध्याय - III

## ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

### 4. मालिक या अभिग्राही के कर्त्तव्य और अनुपालन

निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगेः

उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बन्द कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भूखण्ड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बन्द कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किये जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रख-रखाव करेंगे।

### 5. ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव

I) ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस. कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, या इसके समय समय पर किये गये संशोधित प्रावधान अथवा नगर निगम सहारनपुर या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

II) ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रख-रखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

III) परिसर का मालिक नगर निगम सहारनपुर द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।

IV) परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

V) परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर निगम सहारनपुर के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

VI) नियमों के पालन के लिए नगर निगम सहारनपुर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर निगम सहारनपुर समय-सीमा के भीतर अपने खर्चे पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और निस्तारण से सम्बन्धित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।

VI) नगर निगम सहारनपुर अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है

## अध्याय IV

## फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

### 6. निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस

I) नगर निगम सहारनपुर वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराये पर लिये गये वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

II) नगर निगम सहारनपुर अपने कर्मियों सहित ऑपरेटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 01 महीने के भीतर किया जायेगा।

III) जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदण्डों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट–4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा।

IV) नगर निगम सहारनपुर ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

V) इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट–5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जायेगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

### 7. लाइसेंस जारी करने की शर्तें

I) लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खण्ड 2 (xxi) में परिभाषित 'व्यक्ति' से होगा।

II) आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गन्ध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराये पर लेना चाहिए।

III) सहारनपुर में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा।

IV) आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर निगम सहारनपुर के साथ पंजीकृत करेगा।

V) आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराये पर लिये गये वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खण्ड 16 में दिये गये मानदण्डों को पूरा करते हैं।

VI) आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर निगम सहारनपुर या उसके द्वारा किराये पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

VII) आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जायेगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपविधि के परिशिष्ट–3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

### 8. लाइसेंस के लिए आवेदन

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी **(परिशिष्ट–4 देखे)** द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर निगम सहारनपुर द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म–2, परिशिष्ट–5)।

### 9. लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण

लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर निगम सहारनपुर द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।'

### 10. लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क

नये निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगर निगम सहारनपुर द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखे) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जायेगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

### 10.1 पंजीकरण के शुल्क और वैधता

**I)** निजी ऑपरेटर को पंजीकरण शुल्क अंकन रु0 2,500/– होगा।

वित्तीय वर्ष के लिये अलग से लाईसेन्स शुल्क रु0 2,500/– होगा।

लाईसेंसधारी अपना लाईसेंस, लाईसेंस अवधि समाप्ति के अगले एक माह तक लाईसेंस नवीनीकरण करा सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद पुनः पंजीकरण कराना होगा।

**II)** लाईसेंस की अवधि एक वित्तीय वर्ष के लिए होगी तथा लाईसेंस नवीनीकरण शुल्क अंकन रु0 2,500/– प्रति वित्तीय वर्ष होगा।

### 11. लाइंसेसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन

नगर निगम सहारनपुर द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइंसेस शुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

### 12. जागरुकता अभियान

इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर निगम सहारनपुर द्वारा लोगों को केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाये जायेगे।

## अध्याय V

## फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

### 13. संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जायेगा

**I)** भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर निगम सहारनपुर के लाइसेंसधारी ऑपरेटरों अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।

**II)** मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

### 14. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क

**I)** समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय का नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा (परिशिष्ट-2 देखें)।

**II)** शहर में जब कभी नगर निगम सहारनपुर द्वारा शेड्यूल्ड डीस्लजिंग'' पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जायेगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे (निकाय का नाम) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।

**III)** लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

**IV)** फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

### 15. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन

**I)** फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर निगम सहारनपुर के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जायेगा।

**II)** आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।

**III)** डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर नगर निगम सहारनपुर द्वारा चिन्हित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जायेगा।

**IV)** ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर निगम सहारनपुर वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जायेगा।

**V)** वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "Septic tank waste" (अंग्रेजी में) और ''मलकुण्ड अपशिष्ट'' (हिंदी में) लिखा होगा।

**VI)** फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जायेगा और इसका एक्सेस अधिकार (नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी) और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

### 16. ढुलाई के दौरान सावधानी

लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

### 17. दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय

फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

### 18. दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी

किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

### 19. नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय

हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एण्ड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

### 20. फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण

**I)** लाइसेंसधारी ऑपरेटर (निकाय का नाम) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

**II)** लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा **(परिशिष्ट–6 देखें)।**

**III)** होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

### 21. निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार

**I)** निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जायेगा।

**II)** नगर निगम सहारनपुर होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किये गये वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

**III)** नगर निगम सहारनपुर वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रख-रखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

**IV)** संग्रहीत किये जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोये जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर निगम सहारनपुर द्वारा किया जायेगा।

**V)** बारे में जानकारी देगा जिसे ''उपचार सुविधा'' में निस्तारित किया जा सकता है।

**VI)** एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि ''होस्ट यूएलबी'' को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

### 22. कर्मियों का प्रशिक्षण

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

**23. कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच** यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दण्ड का भुगतान करना पड़ सकता है।

### 24. बीमा

लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गये कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एण्ड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिये जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जायेगा।

### 25. लाइसेंस रद्द किया जाना

इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दण्ड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है। जो कि नगर आयुक्त के निर्णय के अनुसार होगा।

## अध्याय VI

## फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

### 26. उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान

**I)** नगर निगम सहारनपुर उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर निगम सहारनपुर के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जायेगा।

**II)** उपचार सुविधा के अभाव में नगर निगम सहारनपुर, आस-पास के होस्ट यूएलबी जिसमें सुचारू उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म 4 परिशिष्ट 7)

**III)** फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु निकाय का नाम के आस-पास के क्षेत्र में 'क्लस्टर यूएलबी' की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खण्ड 28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

### 27. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण

नगर निगम सहारनपुर जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाये गये फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

### 28. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति

फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए नगर निगम सहारनपुर द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों लिंग तटस्थ को नियुक्त किया जायेगा। यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यूएलबी)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम ''उपचार सुविधा'' में स्थानांतरित करने या इसे ''होस्ट यूएलबी'' के ''उपचार सुविधा'' में भेजने के लिए निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (लिंग तटस्थ) नियुक्त करेगा। यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यूएलबी का हिस्सा हैं।

### 29. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय

(निकाय (या फिर यदि लागू हो तो होस्ट यूएलबी) द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय–समय पर निकाय या होस्ट यूएलबी लागू हो), द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जायेगा।

### 30. औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है

अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

### 31. फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण

नगर निगम सहारनपुर द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार/निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।

### 32. उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल

निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

## अध्याय VII

## प्रशासन और प्रवर्तन

### 33. प्रशासन और प्रवर्तन

**I)** इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ (नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी) अथवा नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

**II)** नगर निगम सहारनपुर फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

**III)** नगर निगम सहारनपुर शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

**IV)** नगर निगम सहारनपुर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमर्जन्सी रिसपोंस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

### 34. जांच के लिए विशेष शक्ति

इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर निगम सहारनपुर के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

### 35. नियम उल्लंघन और जुर्माना

**I)** इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जायेगा।

**II)** किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दण्डात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति– (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है, (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्त्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है, (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

**III)** इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जायेगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जायेगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाये जाने की स्थिति में एफ एस एस निकासी/ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।

**IV)** जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दण्ड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर (निकाय का नाम) द्वारा तय किये जाने वाले जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।

**V)** संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दण्डनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दण्डित करने से नहीं रोकेगा।

### 36. अपील

निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)

### 37. विवाद समाधान उपविधि

इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर (निकाय का नाम) के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जायेगा।

### 38. फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन

मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

### 39. संदर्भ प्रलेख

उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किये गये मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशा निर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

### 40. डीस्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार

अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डीस्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

### 41. उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश

इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

**परिशिष्ट–1**

(खंड 2 (xxiii), 3(iii) और 5(i) देखें)

## सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 (भाग 1) 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदण्ड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिये गये हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताये गये हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन

- आयताकारः लंबाई और चौड़ाई का अनुपातः 2 से 4
- गहराईः 1.0 से 2.5 मी0 के बीच
- दो कक्षः पहला कक्ष कुल लंबाई का 2/3
- तीन कक्षः पहला कक्ष कुल लंबाई का आधा
- मशीन–छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- नर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

## सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

| उपयोगकर्ता की संख्या | लंबाई (मी0) | चौड़ाई (मी0) | द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) (मी0) |
|---|---|---|---|
| | | | दो वर्ष |
| 5 | 1.5 | 0.75 | 1.05 |
| 10 | 2 | 0.90 | 1.40 |
| 15 | 2 | 0.90 | 2.00 |
| 20 | 2.3 | 1.10 | 1.80 |

**नोट** 1: सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

**नोट** 2: फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोतः सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल– भाग एः इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012

**सेप्टिक टैंक की क्षमता**

टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुये हैः

- **अवसादन (सेडीमेंटेशन)** : निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।
- फीकल स्लज डाइजेशनः डेऐजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए।
- फीकल स्लज और मल भण्डारणः फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज भण्डारण क्षमता 0.0002'365=0.073 $m3/$कैपिटा की आवश्यकता होती है।
- फ्री बोर्डः कम से कम 0.3 मी0

**सेप्टिक टैंक का मानक डिजाइन**

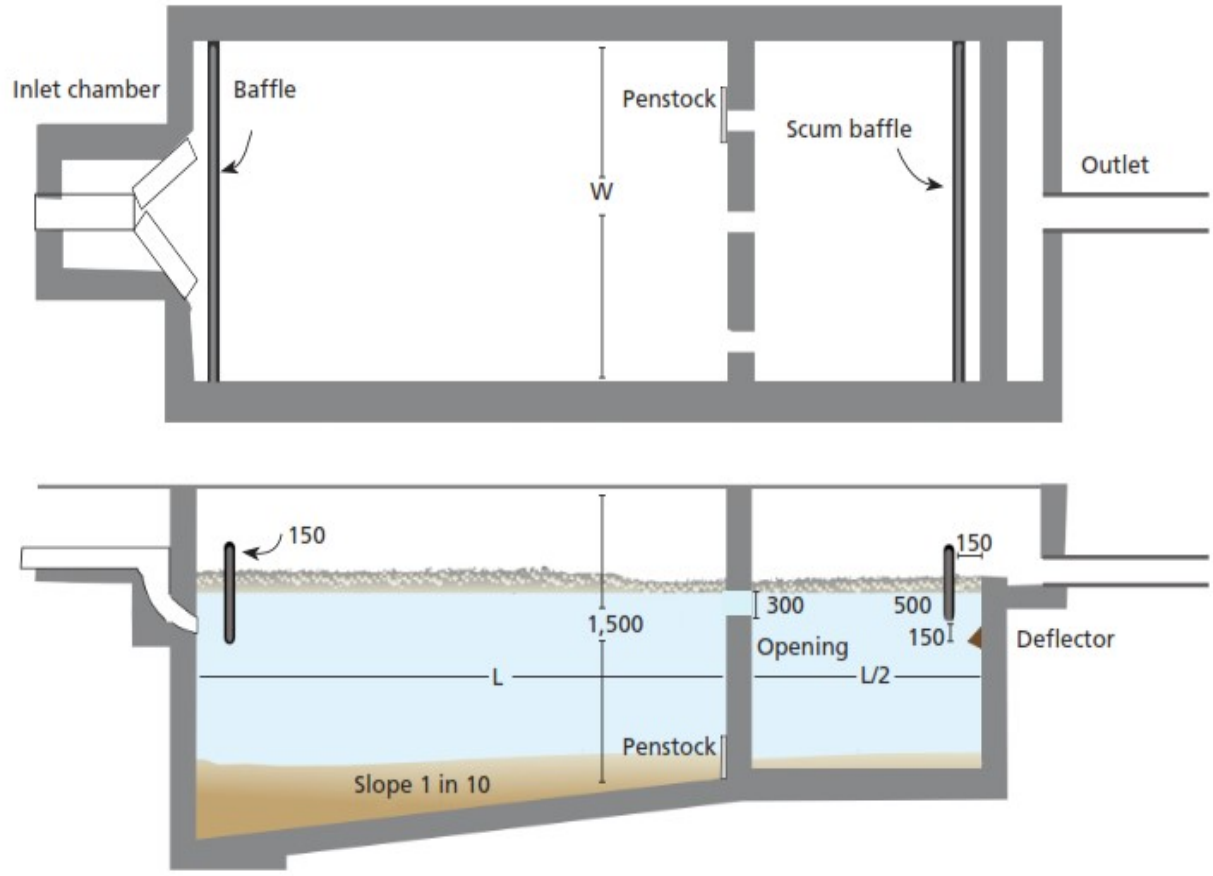


All measurements in millimetres (mm)
Source: Manual on Sewerage and Sewage Treatment—Part A: Engineering. CPHEEO, 2012

## परिशिष्ट–2

(खण्ड 14 (i) और 5 (iii) देखें

नगर निगम सहारनपुर में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिये उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची (अनुमानित)

- उपविधि के अध्याय (iv) में (लाईसेंस और पंजीकरण) पर चर्चा करते हुये बिन्दु संख्या-10.1 में निजी ऑपरेटर का पंजीकरण शुल्क 5,000.00/–रूपये के स्थान पर 2,500.00/–रूपये तथा लाइसेंस शुल्क अलग से वित्तीय वर्ष के लिये अंकन 2,500.00/–रूपये उपविधि में प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव रखा गया।
- उपविधि के परिशिष्ट–2 यूजर चार्ज की सूची में निम्नवत् दरें प्रस्तावित की गयी।

| क्र0सं0 | श्रेणी | समिति द्वारा प्रस्तावित/संशोधित दर (3000.00 लीटर तक) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रु0 |
| 1. | कच्चाघर/झोपड़ी | 500.00 |
| 2. | टिन शेड प्रकार का घर | 800.00 |
| 3. | सभी अन्य घर (पक्काघर) | 1,200.00 |
| 4. | दुकान | 1,200.00 |
| 5. | सभी सरकारी/निजी कार्यालय | 2,000.00 |
| 6. | बैंक | 2,000.00 |
| 7. | सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय | 1,000.00 |
| 8. | रेस्टोरेंट | 2,000.00 |
| 9. | होटल/गेस्ट हाउस (01 से 10कमरे) | 2,000.00 |
| 10. | होटल/गेस्ट हाउस (11 से 20कमरे) | 2,500.00 |
| 11. | होटल/गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरे) | 3,000.00 |
| 12. | धर्मशाला (01 से 25 कमरे) | 1,500.00 |
| 13. | धर्मशाला (25 से अधिक कमरे) | 2,000.00 |
| 14. | 3 स्टार होटल | 3,000.00 |
| 15. | 5 स्टार होटल | 5,000.00 |
| 16. | सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र) | 1,000.00 |
| 17. | सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 से अधिक छात्र) | 1,500.00 |
| 18. | निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक) | 2,500.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | रु0 |
| 19. | निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र से अधिक) | 4,000.00 |
| 20. | 2–व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेन्टर) | 2,000.00 |
| 21. | 2–व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेन्टर के साथ) | 3,000.00 |
| 22. | 4–व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेन्टर) | 3,000.00 |
| 23. | 4–व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेन्टर के साथ) | 4,000.00 |
| 24. | मल्टीप्लेक्स | 3,500.00 |
| 25. | छात्रावास (01 से 10 कमरे) | 2,000.00 |
| 26. | छात्रावास (11 से 20 कमरे) | 2,500.00 |
| 27. | छात्रावास (21 से 50 कमरे) | 3,000.00 |
| 28. | छात्रावास (50 से अधिक कमरे) | 3,500.00 |
| 29. | विवाह हॉल/बैंक्वेट हॉल | 4,000.00 |
| 30. | बार | 3,000.00 |
| 31. | सरकारी अस्पताल (20 बेड तक) | 2,500.00 |
| 32. | सरकारी अस्पताल (20 बेड से अधिक बेड तक) | 3,000.00 |
| 33. | नर्सिंग होम /क्लीनिक (20 बेड तक) | 3,000.00 |
| 34. | नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड से अधिक बेड तक) | 3,500.00 |
| 35. | पैथलॉजिकल लैब | 2,000.00 |
| 36. | निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक) | 3,000.00 |
| 37. | निजी अस्पताल (21 से 50 बिस्तर तक) | 3,500.00 |
| 38. | निजी अस्पताल (50 बिस्तर से अधिक) | 4,500.00 |
| 39. | राईस मिल/अन्य मिल | 2,500.00 |
| 40. | क्षेत्र में कोई भी उद्योग | 4,000.00 |
| 41. | मॉल | 5,000.00 |

**नोटः**– 1– उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

2– उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 3000.00 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी पर आधारित हैं। उक्त दरों में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुये शुल्क वसूला जायेगा, जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किये गये कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कंडोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

## परिशिष्ट–3

## (खण्ड 7 (vii) देखें)

## बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण

कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहियेः–

1– शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रसायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं।

2– शरीर की रक्षा सज्जा/सुरक्षा बेल्ट।

3– सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरेटर जो धूल, धुयें, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है।

4– सेफ्टी टॉर्च।

5– भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं।

6– संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिये रसायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स।

7– टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिये मददगार होता है।

8– दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिये और वैक्यूम टैंकरों के आसपास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता है।

9– आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुर्नजीवन किट।

10– गैस मॉनीटर।

11– हेड लैंप।

12– गाइड पाइप सेट।

13– सेफ्टी ट्राइपॉड सेट।

14– वेडर बूट।

15– एयर कंप्रेसर और ब्लोअर।

16– मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाई ट्रॉली सिस्टम।

17– रेनकोट।

**परिशिष्ट–4**

(खण्ड 6 (iii) और 8 देखें)

**नगर निगम सहारनपुर**

Registration Form for Private Desludging Operator

**फॉर्म 1**– नगर निगम सहारनपुर में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन-पत्र

1– आवेदक का नामः (श्री/सुश्री): .....

2– पताः .....

.....

.....

3– पंजीकृत कार्यालय का पता .....

.....

.....

4– टेलीफोन नंबरः (कार्यालय) .....

(मो0) ..... ईमेलआईडीः .....

6–

मल–कीचड़ साफ करने वाले वाहनों का विवरण

| क्र0सं0 | वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर | वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर–माउंटेड या ट्रक माउंटेड) | प्रतिरूप (मॉडल) संख्या | वैक्यूम टैंकरो/टैंकर की क्षमता (लीटर में) | बीमा किस तारीख तक वैध है | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i | | | | | | |
| ii | | | | | | |
| iii | | | | | | |
| iv | | | | | | |

7– लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण, नकद .....(रसीद संख्या)

8– संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व–प्रमाणित प्रति) (हां/नहीं)

| दस्तावेज के प्रकार | हां/नही | दस्तावेज के प्रकार | हां/नही | दस्तावेज के प्रकार | हां/नही |
|---|---|---|---|---|---|
| पहचान प्रमाण- पत्र | | पता प्रमाण | | कर्मचारियों की सूची | |
| पंजीकरण प्रमाण-पत्र | | फिटनेस सर्टिफिकेट | | बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण-पत्र | |
| प्रदूषण प्रमाण-पत्र | | ड्राइविंग लाइसेंस | | पासपोर्ट साइज फोटो | |

**अनुलग्नकों की कुल संख्या–**

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिये सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिये आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिये उत्तरदायी होगा।

**आवेदक के**
**हस्ताक्षर**

दिनांकः .....

| फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले<br>ऑपरेटर/ठेकेदारों<br>का एक पासपोर्ट साइज<br>का फोटो चिपकायें |
|---|

**नियम और शर्तें–**

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।

2– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिये शुल्क यूएलबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिये अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।

4– लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरे से बचने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।

6– अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

8– वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ 'Septic tank waste' (अंग्रेजी में) और ''मलकुंड अपशिष्ट'' (हिंदी में) लिखा होगा।

9– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 7 दिनों पर 8:am से 6:pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तद्नुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिये।

10– प्रभावी सफाई सेवाये प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिये लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11– उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिये उत्तरदायी होगा, और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिये निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

**परिशिष्ट–5**

**(खण्ड 6 (v) और 8 देखें)**

**लाइसेंस प्रारूप**

**नगर निगम सहारनपुर**

License for Private Desludging Operator

फॉर्म 2– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना।

नगर निगम सहारनपुर में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल–कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिये लाइसेंस।

इनके द्वारा अनुमति ली जाती है।

1– आवेदक का नामः (श्री/सुश्री): .....

2– पत्राचार का पताः.....

.....

3– नगर निगम सहारनपुर में फीकल स्लज/सेप्टेज प्रबंधन सेवायें प्रदान करने के लिये।

लाइसेंस संख्या .....

4– मान्यता .....से ..... तक

5– वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नंबरः (i) ..... (ii) .....

(iii) ..... (iv) .....

लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

**जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर**

**नियम और शर्तें–**

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।
2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिये शुल्क यूएलबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिये अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।
4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरे से बचने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।
8. वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "Septic tank waste" (अंग्रेजी में) और 'मलकुंड अपशिष्ट' (हिंदी में) लिखा होगा।
9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 7 दिनों पर 8:am से 6:pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तद्नुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिये।
10. प्रभावी सफाई सेवायें प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिये लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिये उत्तरदायी होगा, और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिये निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

**परिशिष्ट–6**

(खण्ड 13 (ii) 20 (ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड।

फॉर्म 3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड।

(यूएलबी का नाम) में मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाये रखने के लिये।

दिनांकः .....

समयः .....

## I. ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण–

1– नामः.....

2– पताः.....

.....

.....

(क) वार्ड संख्या.....

(ख) टेलीफोन नं.....

## II. रोकथाम–

1– निर्माण का वर्ष ..... 2– पिछला कीचड़ निकालना (MM/YYYY): .....

2– आउटलेट मौजूद (हां/नहीं):..... 4– यदि हां, तो किससे जुड़ा हैः.....

3– रोकथाम के प्रकारः (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)

| रोकथाम के प्रकार | सही करें | रोकथाम के प्रकार | सही करें |
|---|---|---|---|
| सेप्टिक टैंक ट्विन | | ट्वीन पिट (पंक्तिबध) | |
| संग्रह टैंक | | ट्विन पिट(अनलाइन्ड) | |
| सोख्ता गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक | | पूरी तरह से अटे टैंक | |
| सिंगल पिट (लाइनेड) | | सिंगल पिट (अनलाइन) | |

4– रोकथाम का आकार और आकार नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें।

5– संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

| घर में स्थान | सही करें | घर में स्थान | सही करें |
|---|---|---|---|
| घर के पिछले हिस्से में | | एक कमरे के फर्श के नीचे | |
| घर के सामने की तरफ | | अन्य | |

## III. कीचड़ साफ करना–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर) .....

2– कीचड़ निकालने में लगने वाला समय .....

3– ट्रिप की लम्बाई (किमी) .....

4– आने–जाने में समय .....

IV– **कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण**

ऑपरेटर का नाम.....

ड्यूटी पर खाली स्टाफ FSSTP ऑपरेटर.....

ड्यूटी पर टैंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

**परिशिष्ट–7**

(खण्ड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप।

फॉर्म 4– 'होस्ट यूएलबी पर उपलब्ध 'उपचार संयंत्र' में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिये समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय (नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (होस्ट निकाय का नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिये फॉर्म।

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के तहत, एक्सवाईजेड निकाय (संपर्क करने वाले निकाय का नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिये, ''होस्ट यूएलबी'' (होस्ट निकाय का नाम) के प्रशासन के तहत ''उपचार संयंत्र'' पर, समझौता।

प्रथम पक्ष ''होस्ट यूएलबी'' (होस्ट निकाय का नाम)।

द्वितीय पक्ष ''एक्सवाईजेड यूएलबी'' (संपर्क करने वाले निकाय का नाम)।

**उपबन्धः**

1– यह कि ''प्रथम पक्ष'' दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारम्भ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारम्भ तारीख) तक ''द्वितीय पक्ष'' की प्रशासनिक सीमाओं से उनके ''उपचार संयंत्र'' पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा/वर्ष (अंतिम तिथि)।

2– ''प्रथम पक्ष'' अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिये अपने ''उपचार संयंत्र'' पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3– यह कि ''द्वितीय पक्ष'' समझ के अनुसार ''प्रथम पक्ष'' को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु. xxx देने के लिये सहमत है।

4– यह कि ''प्रथम पक्ष'' उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रख रखाव बन्द आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5– कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझायें।

6– कि ''द्वितीय पक्ष'' केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7– प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर ''द्वितीय पक्ष'' की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

| प्रथम पक्ष | द्वितीय पक्ष |
|---|---|
| नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक जल का हस्ताक्षर | अधिशासी अधिकारी का हस्ताक्षर |

## परिशिष्ट–8

जुर्माना और फाईन से सम्बन्धित परिशिष्ट–8 में अंकित जुर्माना/फाईन में निम्नवत् संशोधन किया गया–

| क्र0सं0 | विवरण | खण्ड सं0 | संकेतिक फाइन सीमा (रू0में) | जुर्माना (रू0 या किसी अन्य पीनल एक्शन में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह | 3 | 500 | 500/–रू0 का जुर्माना एवं 15 दिन का पहला नोटिस |
| 1.2 | लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला | 3 | 1000 | 1000/–रू0 का जुर्माना एवं 10 दिन का दूसरा नोटिस |
| 1.3 | लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला | 3 | 100 | 100/–रू0 प्रतिदिन का जुर्माना एवं 30 दिन का तीसरा नोटिस |
| 2.1 | ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण | 5 | 500 | 500/–रू0 का जुर्माना एवं 15 दिन का पहला नोटिस |
| 2.2 | लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला | 5 | 1000 | 1000/–रू0 का जुर्माना एवं 10 दिन का दूसरा नोटिस |
| 2.3 | लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला | 5 | 100 | 100/–रू0 प्रतिदिन का जुर्माना एवं 30 दिन का तीसरा नोटिस |
| 3.1 | बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना | 6 | 1000 | 500/–रू0 का जुर्माना एवं 15 दिन का पहला नोटिस |
| 3.2 | लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला | 6 | 2000 | 1000/–रू0 का जुर्माना एवं 10 दिन का दूसरा नोटिस |
| 3.3 | लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला | 6 | 500 | 100/–रू0 प्रतिदिन का जुर्माना एवं 30 दिन का तीसरा नोटिस |

| क्र0सं0 | विवरण | खण्ड सं0 | संकेतिक फाइन सीमा (रू0में) | जुर्माना (रू0 या किसी अन्य पीनल एक्शन में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1 | आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिये गैर–अनुपालन | 16,17 | 1000 | 500/–रू0 का जुर्माना एवं 15 दिन का पहला नोटिस |
| 4.2 | लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला | 16,17 | 1500 | 1000/–रू0 का जुर्माना एवं 10 दिन का दूसरा नोटिस |
| 4.3 | लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला | 16,17 | 300 | 100/–रू0 प्रतिदिन का जुर्माना एवं 30 दिन का तीसरा नोटिस |
| 5.1 | एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना | 27,28,33 | 500 | 500/–रू0 का जुर्माना एवं 15 दिन का पहला नोटिस |
| 5.2 | लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला | 27,28,33 | 7500 | 1000/–रू0 का जुर्माना एवं 10 दिन का दूसरा नोटिस |
| 5.3 | लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला | 27,28,33 | 1000 | 100/–रू0 प्रतिदिन का जुर्माना एवं 30 दिन का तीसरा नोटिस |
| 6.1 | निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना | 6,7,14,27,28,29 | 5000 | 500/–रू0 का जुर्माना एवं 15 दिन का पहला नोटिस |
| 6.2 | लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला | 6,7,14,27,28,29 | 7500 | 1000/–रू0 का जुर्माना एवं 10 दिन का दूसरा नोटिस |
| 6.3 | लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला | 6,7,14,27,28,29 | 1500 | 100/–रू0 प्रतिदिन का जुर्माना एवं 30 दिन का तीसरा नोटिस |

**नोटः**– तीसरे नोटिस की अवधि उपरान्त उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

**नोटः** जुर्माने और जुर्माने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिये। शहर में यूएलबी जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

## परिशिष्ट–9
## संदर्भित दस्तावेज
## (खण्ड 37 देखें)

फॉर्म 5– अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, ''अपीलीय प्राधिकारी के पास

..... (पदनाम)

1– आवेदक का पूरा नामः .....

.....

2– आवेदक का पता .....

.....

.....

3– नगर पालिका अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई नाम .....

नाम ..... पद .....

4– उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गईः–

.....

5– अपील दायर करने की तारीख .....

6– सूचना विवरण

(क) संक्षेप में अपील की विषय–.वस्तु (जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करें)

.....

.....

(ख) अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है)

.....

.....

..... सत्यापन

मैं, ..... (अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी .....

एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिये गये विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

स्थानः .....

तिथिः .....

अनुलग्नक के रूप में जमा किये गये प्रलेख

1.....

2.....

यहा फाड़ें.....

पवती संख्या.....

तिथि.....

अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन .....

.....

स्थानः..... तिथिः .....

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

आदेश से (नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत का नाम)

(नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक जल की मुहर एवं हस्ताक्षर)

(नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत का नाम)

## परिशिष्ट–10
## (खण्ड 40 देखें)
## संदर्भित दस्तावेज

(इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्ययन करके किया गया है)

**निकाय द्वारा मार्ग दर्शन के लिये निम्नलिखित प्रलेखों के नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जा सकता हैः–**

1– उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1959

2– उत्तर प्रदेश सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

3– बिजनौर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि, 2022, कार्यालय राजपत्र-प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार।

4– सलाहकार नोटः शहरी भारत में सेप्टेज प्रबंधन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

5– उत्तर प्रदेश में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिये दिशानिर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

6– एकीकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति सह दिशानिर्देश, 2019, चुनार नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।

7– आईएसः 2470– 1985, सेप्टिक टैंक की स्थापना और सेप्टिक टैंक के प्रवाह के निस्तारण के लिये भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो।

(क) (भाग I) डिजाइन शर्तें और निर्माण

(ख) (भाग II) द्वितीयक उपचार और सेप्टिक टैंक के तरल पदार्थ का निस्तारण।

8– सीवरेज और मलजल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार।

9– बिना नेटवर्क तकनीकी पर मेन्यू, 2019, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।

10– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

11– राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

12– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के उपविधि, 2020, सेप्टेज प्रबंधन के लिये उत्तराखण्ड राज्य प्रोटोकॉल।

13– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार।

14– तमिलनाडु सरकार का राजपत्र, 2022, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर उपविधि।

15– सेप्टेज प्रबंधन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017,विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।

16– सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिये मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

17– फीकल स्लज एवं सेप्टेज/सेप्टेज, 2019, के लिये उथली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता संस्थान, नई दिल्ली।

18– प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

ह0 (अस्पष्ट)
महा प्रबन्धक (जल),
नगर निगम,
सहारनपुर।

# कार्यालय, नगर पालिका परिषद् हाटा, जनपद-कुशीनगर

भवन निर्माण उपविधि 2024

दिनांक 07 मार्च, 2025 ई0

संख्या–74 / न0पा0प0हाटा / 2024–25 नगरपालिका परिषद् हाटा जनपद–कुशीनगर द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 298में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद हाटा, जनपद–कुशीनगर सीमान्तर्गत भवन निर्माण, पुनः निर्माण या परिवर्तन को विनियमित एवं उपविधि 2024 बनायी गयी है। जिसे आम नागरिकों से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है, जिसमें नगरपालिका परिषद हाटा, जनपद कुशीनगर द्वारा ''उपविधि'' से सम्बन्धित सूचनाएं स्थानीय समाचार-पत्रों में पत्र संख्याः–358 / न0पा0प0 हाटा, / 2024–25 दिनांक 12 सितम्बर, 2024 यूनिवर्स रिर्पोटर एवं स्वतंत्र जनमित्र में आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से 15 दिवस के लिए प्रकाशित किया गया था। निर्धारित समयावधि 15 दिवस के भीतर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। निम्नवत् उपविधि को गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

**परिभाषाएं** :–

1–संक्षिप्त नाम–यह नियमावली नगरपालिका परिषद् हाटा,जनपद–कुशीनगर भवन निर्माण उपविधि 2024 कहलायेगी।

2–प्रसार–इस उपविधि का प्रसार नगरपालिका परिषद् हाटा जनपद–कुशीनगर की सम्पूर्ण सीमा (समय-समय पर शासन द्वारा यथा संशोधित) में होगी।

3–प्रभाव–यह नियमावली शासकीय गजट में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगी।

4–नगरपालिका परिषद् हाटा का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् हाटा जनपद–कुशीनगर से है।

5–अधिशासी अधिकारी / अध्यक्ष का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् हाटा के अधिशासी अधिकारी / अध्यक्ष से है।

6–अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद् हाटा में कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है।

7–नगरपालिका अधिनियम 1916 से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 या उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधित अधिनियम से है।

8–बेसमेन्ट का तात्पर्य भू-तल के नीचे या अंशतः भू-तल के नीचे निर्माण से है।

9–स्टिल्ट फ्लोर का तात्पर्य प्लिन्थ से खम्भों (पिलर्स) पर बनी हुई संरचना जो न्यून्तम दो तरफ से खुली हो, फर्श से बीम तक अधिकतम ऊंचाई 7 फुट हो एवं पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रेत होने से है।

10–आच्छादित क्षेत्रफल का तात्पर्य कुर्सी तल के ऊपर आच्छादित तल क्षेत्र से है, जिसके ऊपर भवन निर्माण हो।

निम्नलिखित संरचनाएं आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत शामिल नहीं होगीः–

(क) बाग, राकरी, कुआं एवं कुएं से सम्बन्धित कोई संरचना, प्लान्ट नर्सरी, वाटरपूल, अनाच्छादित स्वीमिंग पूल, पेड़ के चारों प्लेटफार्म, टेंक, फाउन्टेन, बैच, खुला चबूतरा।

(ख) ड्रेनेज, कल्वर्अ, कैंच-पिट, गलीपिट,चैम्बर, गटर आदि।

(ग) चाहर दीवारी, प्रवेश द्वार, मंजिल रहित पोर्च एवं पोर्टिको, कैनोपी, स्लाइड, झूला, अनाच्छादित सीढ़ी, अनाच्छादित रैम्प आदि।

(घ) वाचमैन बूथ,पम्प हाउस, गारवेज शाफ्ट, विद्युत केबिन एवं विभिन्न सेवाओं से सम्बन्धित ऐसे अन्य यूटीलिटीज स्ट्रक्चरर्स।

11–तल क्षेत्रफल (फ्लोर एरिया) का तात्पर्य भवन के किसी तल पर आच्छादित क्षेत्रफल से है।

12–तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) का तात्पर्य किसी भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल से भवन के कुल तल क्षेत्रफल को विभाजित करने से प्राप्त भागफल से है।

13–निवास योग्य कमरे का तात्पर्य अधिभाग के लिए अध्यासित अथवा अभिकल्पित कमरे से है,चाहे यह अध्ययन, रहने,श्शयन, खाने, हेतु हो किन्तु इसमें रसोईघर, स्नानगृह,श्शौचालय बर्तन साफ करने व रखने की जगह और स्टोर रूम, कारीडोर, बेसमेन्ट, बरसाती (अटिक) तथा अन्य स्थान जो प्रायः रहने हेतु प्रयुक्त नहीं किये जाते हैं, सम्मिलित नहीं होंगे।

14–आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे, जिसमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

15–व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत ये भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों भण्डारण, बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप जो व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हो, सम्मिलित होगें।

16–कुर्सी (प्लिन्थ) से तात्पर्य किसी संरचना के उस भाग से है जो चारों ओर की भूमि की सतह से ठीक ऊपर हो तथा भू-तल के फर्श तक हो।

17–कुर्सी का क्षेत्रफल से तात्पर्य वह निर्मित क्षेत्रफल से है, जो बेसमेन्ट, भू-तल अथवा किसी मंजिल के फर्श तल पर नापा जाय।

18–सेट-बैक लाइन का तात्पर्य भू-खण्ड की सीमाओं के समानान्तर रेखा में है, जो भवन निर्माण उपविधि में निर्दिष्ट की गई हो और जिसके बाहर भू-खण्ड की सीमाओं की ओर कोई निर्माण करना अनुमन्य न हो।

19–भू-खण्ड का तात्पर्य भूमि के उस भाग से है जो चारों ओर निश्चित सीमाओं से घिरा हो।

20–कोने का भू-खण्ड का तात्पर्य उस भू-खण्ड से है, जो दो या अधिक परस्पर काटने/मिलाने वाली सड़कों पर स्थित हों।

21–मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है जोकि किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्तीतल के बीच हो यदि इसके ऊपर कोई तल न हों तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हों।

22–सड़क (स्ट्रीट) का तात्पर्य स्ट्रीट, गलर, लेन, पाथवे, सकरीगली (ऐले) रास्ते (पैसेज) कैरियर-वे, पगडण्डी (फुट-वे) स्क्वायर, खुलेपुल, चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हों या न हों, या जिसके ऊपर जनसाधारण को विकास कार्य के पूरा होने के बाद बिना किसी रोक-टोक के चलने गुजरने का या आने-जाने का अधिकार हो, चाहे वह किसी योजना में विद्यमान हो या प्रस्तावित हो। उसमें सब प्रकार के बन्धे, स्टार्मवाटर, ड्रेन, वर्षा जल के नाले, पुलिया साइडवाल, ट्रैफिक आइलैण्ड, रिटेनिंगवाल, बैरियर एवं रेलिंग जो राइट-आफ-वे के भीतर हो, शामिल होगें।

23–सड़क की चौड़ाई का तात्पर्य सड़क की कुल चौड़ाई अथवा राइट-आफ-वे से है।

24–बरामदा से तात्पर्य ऐसे आच्छादित क्षेत्रफल से है, जिसमें कम से कम एक पार्श्व बाहर की ओर खुला हो एवं ऊपर के तलों में खुले पार्श्व की ओर अधिकतम एक मीटर ऊंचाई तक के पैरापिट का प्रविधान हों।

25–भवन की ऊंचाई से तात्पर्य आस-पास की भूमि के औसत सतह से भवन के अन्तिम तल के टेरिस से तक की ऊंचाई से हो।

**आवेदन-पत्र यथा स्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जायेगा**

1–मानचित्रों के चार सेट नियत शुल्क अदा करने की रसीद सहित जमा किये जायेगें।

2–जमा किये जाने वाले मानचित्रों में की-प्लान, साइट प्लान, तल पट मानचित्र और सर्विसेज प्लान भी शामिल होगें।

3–समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किए जायेगें और उनके द्वारा नाम, अनुज्ञाप्ति संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किए जायेगें इसके अतिरिक्त भू-भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होगें।

4–नगरपालिका परिषद् हाटा के लाइसेंस प्राप्त ड्राफ्ट मैन को भवन मानचित्र प्रस्तुत करने की अनुमति 3000 वर्ग फुट तक होगी। 3000 वर्गफुट से अधिक की भूमि पर मानचित्र प्रस्तुत करने की अनुमति काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर से प्राप्त लाइसेंस आर्किटेक्ट को होगी।

5–भवन के प्लान और एलीबेशन तथा सेक्शन 1.100 से कम पैमाने पर नहीं होगें और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाएं जायेंगे।

(क) समस्त तलों के तल मानचित्र सहित आच्छादित क्षेत्रफल, कमरों के आकार, जीने, रैंम्प (लिफ्ट सहित)।

**भवन के प्रत्येक भाग का उपयोग या अधिभोग–**

- मूलभूत सेवाओं के वास्तविक स्थान शौचालय, सिंक, वाथ, जल-प्रदाय, जल-निकास तथा मल-निस्तारण हेतु सोक पिट/सैप्टिक टैंक अथवा सीवर लाइन से कनेक्शन।
- जल प्रवाहित शौचालय की व्यवस्था।

**सूचनाएं एवं दस्तावेज**

- पंजीकृत बैनामा की छायाप्रति।
- इन्तखाब।
- आधार कार्ड की छायाप्रति।
- आवेदक/आवेदिका की फोटो।
- रु0 10/– का ई-स्टाम्प पेपर।
- शमन मानचित्र हेतु निर्मित भवन का फोटो ग्राफ।
- नजरी नक्शा, चौहद्दी सहित लेखपाल द्वारा प्रमाणित।

**नियम एवं शर्तें**

- रु0 100/–प्रति आवासीय भवन पर मानचित्र दाखिला शुल्क लिया जायेगा।
- रु0 200/–प्रति व्यवसायिक भवन पर मानचित्र दाखिला शुल्क लिया जायेगा।
- रु0 3/–प्रति वर्गफुट शुल्क आवासीय भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।
- रु0 5/–प्रति वर्गफुट शुल्क व्यवसायिक भवन में आच्छादित पर लिया जायेगा।
- रु0 4/–प्रति वर्गफुट शुल्क आवासीय व व्यवसायिक भवन में आच्छादित पर लिया जायेगा।

**नोट–मानचित्र स्वीकृति होने के उपरान्त आवेदक/आवेदिका को एक वर्ष के भीतर भवन का निर्माण कर लेना होगा अथवा मानचित्र की अवधि समाप्त हो जाने पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।**

**सेट-बैक**

- आवासीय/व्यवसायिक भवनः–भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय/व्यवसायिक भवनों में अधिकतम ऊंचाई 15 मी0 निर्माण अनुमय होगा जिसकी अधिकतम ऊंचाई स्टिल्ट के साथ 41 फुट तथा स्टिल्ट के बिना 34 फुट होगी एवं सेट-बैक निम्नवत् होगें।

| भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग फुट) | सेट-बैक (फुट) | |
|---|---|---|
| | अग्रभाग | पृष्ठ भाग |
| 1500 तक | 3 | – |
| 1501 से अधिक 3000 तक | 5 | 3 |
| 3001 से अधिक 5000 तक | 10 | 5 |

- कोने के भू-खण्ड में सेट-बैक सम्बन्धित भू-खण्ड के फ्रन्ट सेट-बैक के समान होगा।
- भवनों में प्रकाश एवं संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- सेटबैक में छूट-खुले स्थान में छत/छज्जे का निर्माण किया जा सकता है, जो खुले स्थान की चौड़ाई के आधे से अधिक तथा अधिकतम 3 फुट होगा परन्तु उक्त छत/छज्जे किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- 3000 से अधिक प्रस्तावित व्यवसायिक भवन हेतु स्थानीय मुख्य शमन अधिकारी से अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 20 से अधिक तक के भवनों में पृष्ठ सेट-बैक के 40 प्रतिशत भाग पर निर्माण अनुमन्य होगा।
- उक्त आराजी पर भवन निर्माण से पुरातत्व विभाग के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होगा। आराजी पुरातात्वित क्षेत्र की परिधि से लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित होगी। पुरातात्विक क्षेत्र की परिधि 300 मीटर के भीतर के भूमि/भवनों को मानचित्र स्वीकृति कराने हेतु स्थानीय पुरातत्व विभाग से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

**अन्य आन्तरिक संरचनाएं**

**जीना**

- आवासीय भवनों में आन्तरिक जीने की पैड़ी की चौड़ाई न्यूनतम "10 होगी तथा अन्य भवनों की पैड़ी की चौड़ाई न्यूनतम 12" होगी।
- आवासीय भवनों में एक उठान में अधिकतम 12 राइजर तक होगें तथा अन्य भवनों में उनकी संख्या 15 तक हो सकेगी।

**चाहार दीवारी**

- सामने की कम्पाउण्ड दीवार की अधिकतम ऊंचाई 8 फुट होगी, जिसका न्यूनतम 3 फुट ऊपरी भाग जाली/ग्रिल युक्त होगा।
- कोने के भू-खण्ड में सड़क की तरफ की कम्पाउण्ड दीवार की ऊंचाई 6 फुट से अधिक नहीं होगी।
- उक्त उपबन्ध सैनेटोरियम, कारखाना, कार्यालय, संस्थागत भवनों पर लागू नहीं होगें।

**भू-गृह (बेसमेन्ट)**

- बेसमेन्ट को रिहायसी उपयोग में नहीं लाया जायेगा तथा बेसमेन्ट में शौचालय या रसोई घर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- आन्तरिक खुले स्थल (कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा।
- बेसमेन्ट का निर्माण बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित करते हुए भू-खण्ड की सभी सीमाओं से न्यूनतम 6 फुट छोड़ने के बाद ही अनुमय होगा।

**बेसमेन्ट का प्रयोजन निम्नानुसार होगा–**

- घरेलू सामान, अज्वलनश्शीलपदार्थ या अन्य सामान का भण्डारण।
- आवासीय भवन से भिन्न भवनों में डार्क रूम, कोष कक्ष, बैंक सेलर आदि।
- वातानुकूलन उपकरण एवं अन्य मशीने जो भवन की अनिवार्य सुरक्षा के लिए लगाई जाये।
- पार्किंग स्थल और गैराज।
- पुस्तकालयों के अज्वलनश्शील भण्डार कक्ष (स्टैकिंग रूम)।
- बेसमेन्ट का प्रत्येक भाग, फर्श से बीम तक न्यूनतम 7 फुट तथा अधिकतम 15 फुट ऊंचा होगा।
- बेसमेन्ट में पर्याप्त संवातन सुनिश्चित किया जायेगा।
- बेसमेन्ट की सीलिंग संलग्न रोड लेवल से न्यूनतम 3 फुट तथा अधिकतम 4 फुट ऊपर होगी।
- सतह का पानी बेसमेन्ट में प्रवेश न करने पाये इस हेतु व्यवस्था करनी होगी।

**रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षाएं**

- जलरोध की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 3000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्ड़ों तथा सभी योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से ग्राउन्ड वाटर रिर्चाजिंग तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर संग्रहण हेतु आवश्यक प्राविधान किया जयेगा।

**<u>सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र हेतु अपेक्षाएं</u>**

निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी गर्म करने हेतु सोलर वाटर हीटर संयन्त्र की स्थापना की अपेक्षाओं के अनुसार सुनिश्चित की जायेगीः–

- अस्पताल तथा नर्सिंगहोम।
- होटल।
- अतिथिगृह।
- विश्रामगृह।

- छात्रावास।
- महाविद्यालय/प्राविधिक संस्थाएं/प्रशिक्षण केन्द्र।
- सशास्त्र बल/अर्द्ध-सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक।
- सामुदायिक केन्द्र, बैक्वेट हाल, बारात घर तथा इसी प्रकार के अन्य भवन।
- 5000 वर्गफुट एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवन।

**शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु अपेक्षाएं**

समस्त जनोपयोगी भवनों तथा सार्वजनिक सुविधा स्थलों पर शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की आवश्यताओं, सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु अवरोध मुक्त परिसर के सृजन के लिए प्राविधान सुनिश्चित किये जायेंगें।

**भूकम्प रोधी निर्माण हेतु अपेक्षायें**

- भूतल सहित 3 मंजिल से अधिक अथवा 41 फुट से अधिक ऊंचाई के भवन तथा 5000 वर्गफुट से अधिक भू-आच्छादन के सभी अवस्थापना सुविधाओं (यथा वाटर वर्क्स एवं ओवर हैंडटैंक, टेलीफोन एक्सचेंज, ब्रिज एवं कल्वर्ट विद्युत उत्पादन केन्द्र एवं विद्युत टावर, अस्पताल, छविगृह, ओडिटोरियम सभाभवन,श्शैक्षिक संस्थायें, बस टर्मिनल आदि) पर भूकम्प रोधी निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएं लागू होगी।
- भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति कराने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हस्ताक्षर युक्त भवन की नीव एवं सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन की पूर्ण गणनायें एवं स्ट्रक्चरल मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। साथ ही भवन निर्माण हेतु नियत प्राधिकारी को जो मानचित्र प्रेषित किये जायेगें, उन सभी मानचित्रों पर भू-स्वामी पंजीकृति आर्किटेक्ट के साथ-साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर तथा सर्विस डिजाइन तैयार करने वाले सर्विस इंजीनियर के पूरे नाम तथा मुहर-युक्त हस्ताक्षर से भुकम्प रोधी डिजाइन होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

**<u>अपराधों का शमन उपविधि</u>**

- मानचित्र में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अवैध निर्माण दर्शाए जायेगें, पीछे के सेट-बैक में अनाधिकृत निर्माण शमनीय होगा।
- शमन शुल्क अवैध निर्माण के लिए निर्धारित शुल्क द्वारा लिया जायेगा।
- रु0 10/–प्रतिवर्ग फुट शमन शुल्क आवासीय भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।
- रु0 15/–प्रतिवर्ग फुट शमन शुल्क व्यावसायिक भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।

**<u>दण्ड</u>**

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि का उल्लंघन करता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

**अध्यक्ष,**
**रामानन्द सिंह,**
**नगरपालिका परिषद् हाटा,**
**जनपद–कुशीनगर।**

## कार्यालय नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद शामली

31 जनवरी, 2025 ई0

सं0 1489/न0पं0ज0बाद/2024-25—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद शामली द्वारा आहूत बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2024 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में ''पार्किंग शुल्क नियमावली 2024'' बनायी गयी है। प्रस्तावित ''पार्किंग शुल्क नियमावली 2024'' को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 के अन्तर्गत अपेक्षा अनुसार सभी नगर वासियों को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने के उद्देश्य से नगर पंचायत जलालाबाद, कार्यालय के पत्रांक सं0-1428/न0पं0ज0बाद/पा0शु0नि0/2024-25 दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 द्वारा प्रस्तावित ''पार्किंग शुल्क नियमावली 2024'' का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला एवं विश्व मानव में दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 में कराते हुए 30 दिन के भीतर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। नियत अवधि के भीतर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव नगर पंचायत जलालाबाद, कार्यालय में प्राप्त नही हुए। नगर पालिका अधिनियम 1916 के निहित प्राविधानों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि उक्त ''पार्किंग शुल्क नियमावली 2024'' शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

### ''नगर पंचायत जलालाबाद, पार्किंग शुल्क नियमावली 2024''

शासनादेश संख्या-2399/नौ-9-94-204(जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298 जो नगर पंचायत पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद शामली में ''पार्किंग शुल्क नियमावली 2024''कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

**1— सक्षिप्त नाम एवं प्रसार—**

1— यह नियमावली नगर पंचायत जलालाबाद, पार्किंग शुल्क नियमावली 2024 कहलायेगी।

2— यह नियमावली नगर पंचायत जलालाबाद, की सीमा में पार्क किये जाने वाले सभी वाहनों पर लागू होगी।

3— यह नियमावली गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

**2— परिभाशाएं—**

1— अधिनियम से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

2— नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत जलालाबाद, से है।

3— अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत जलालाबाद, के अधिशासी अधिकारी से है।

4— अध्यक्ष/प्रशासक से तात्पर्य नगर पंचायत जलालाबाद, के अध्यक्ष या प्रशासक से है।

5– पार्किंग शुल्क से तात्पर्य नगर पंचायत जलालाबाद, की सीमा में पार्क किये गये वाहनों से लिये जाने वाले शुल्क से है।

**3– पार्किंग शुल्क हेतु नियम व शर्ते–**

1– सभी वाहन चालकों के लिए नगर पंचायत द्वारा निर्धारित बस अड्डा/पार्किंग स्थल पर पार्किंग शुल्क हेतु नीलामी की जायेगी। यह आवश्यक होगा कि सभी वाहन चालकों द्वारा अपने वाहन बस अड्डा/निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क किये जायेगें।

2– सभी व्यावसायिक कॉम्पलेक्सों, बैंकों, रेस्टोरेन्ट, होटलों, बाजार संचालकों, इत्यादि के लिए आवश्यक होगा कि वह अपने ग्राहकों हेतु, पार्किंग की व्यवस्था करें। यदि उनके पास पार्किंग स्थल नही है। तथा वह सड़क के अस्थायी अध्यासन हेतु अनुमति चाहतें है, तो उन्हें नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क व शर्तो के साथ एक अनुबन्ध करना होगा, तभी उन्हें पार्किंग की अनुमति दी जा सकेंगी।

3– सभी विवाह मण्डपों, बारातघरों, अतिथिगृह, बैंकटहाल, इत्यादि के लिए अपनी स्वयं की पार्किंग व्यवस्था करना अनिवार्य है। बिना पार्किंग व्यवस्था के ऐसे स्थलों पर किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नही दी जायेगी।

4– यदि कोई वाहन नगर पंचायत के नो पार्किंग जोन, सड़क, बाजार, कार्यालय या अन्य स्थान पर लावारिस के रूप में खड़ा पाया तो ऐसे वाहनों को नगर पंचायत द्वारा जब्त कर जुर्माना लगाया जायेगा। जो कि न्यूनतम 2 व्हीलर, 3 व्हीलर के लिए रु0 500 व चार पहिया वाहन या व्यावसायिक वाहनों के लिए रु0 2,000 अनुमन्य होगा।

5– यदि कोई रोड़वेज बस सड़क या नो पार्किंग जोन में खड़ी है, तो उस पर भी न्यूनतम रु0 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

6– यदि कोई पार्किंग शुल्क से छूट प्राप्त वाहन सड़क, बाजार, या नो पार्किंग जोन में खड़ा है, अथवा लावारिस वाहन के रूप में सड़क पर खड़ा है अथवा नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान से अलग अन्य स्थान पर खड़ा है, तो उस पर भी जुर्माना किया जा सकता है। जो कि उपरोक्तानुसार ही होगा। जुर्माना अदा न करने पर वाहन को जब्त कर नीलामी की कार्यवाही की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा बार-बार इस उपविधि के किसी प्रावधान का उल्लघंन किया जाता है, तो जुर्माने की राशि दो गुनी वसूली जायेगी।

**4– नीलामी कमेटी का गठन**– नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत ऐसे सभी स्थान जहॉ पर वाहनों को पार्क किया जा सकता है, उनका चयन नगर पंचायत द्वारा किया जायेगा। नगर पंचायत द्वारा चयनित सभी पार्किंग स्थलों की यथा सम्भव नीलामी की जायेगी। नीलामी करने से पूर्व नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी द्वारा एक अस्थाई समिति का गठन किया जायेगा, जिसे पार्किंग नीलामी समिति कहा जायेगा। पार्किंग नीलामी समिति का गठन निम्नवत होगा।

| | |
|---|---|
| अध्यक्ष नगर पंचायत | – नीलामी समिति का अध्यक्ष, |
| अधिशासी अधिकारी | – सचिव संयोजक, |
| लेखा लिपिक | – सदस्य, |
| कोई भी तीन सभासद | |
| जिन्हें अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित किया जाये | – सदस्य, |

नीलामी कमेटी द्वारा नीलामी से पूर्व शर्तों का निर्धारण किया जायेगा, जो की नगर पंचायत जलालाबाद की सीमा के अन्दर नीलाम होने वाले सभी पार्किंग स्थलों हेतु मान्य होगी।

**5– पार्किंग शुल्क की दरें–**

1– बस अथवा इसी प्रकार के सवारी वाहन रु0 50 प्रति प्रवेश शुल्क।

2– मिनी बस व इसी प्रकार के मोटर यात्रिक वाहन रु0 25 प्रति प्रवेश शुल्क नगर पंचायत में वाहनों की पार्किंग हेतु, पार्किंग स्थलों का चयन कर उन्हें खुली बोली नीलामी द्वारा ठेके पर छोड़ा जायेगा व नगर पंचायत में मुख्य पार्किंग स्थल पर नया बस स्टैण्ड रहेगा जिसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष खुली बोली नीलामी द्वारा छोड़ा जायेगा।

3– जीप टैक्सी, टाटा सूमो, मेटाडोर, कारे व इसी श्रैणी के अन्य वाहन रु0 15 प्रति प्रवेश शुल्क लिया जायेगा।

4– माल वाहक ट्रक तथा ऐसे ही बड़े वाहन रु0 100 प्रति प्रवेश शुल्क।

5– छोटे मालवाहक वाहन रु0 50 प्रति प्रवेश शुल्क।

6– अन्य सभी वाहन जो उक्त सूची में नही है, तथा उनको इस उपविधि के अन्तर्गत छूट वाले वाहनों की सूची में भी शामिल नही किया गया है रु0 15 प्रति प्रवेश शुल्क।

**6– पार्किंग शुल्क से छूट वाले वाहन**– रिक्शा, जुगाड मार्शल विक्रम, आटो रिक्शा, थ्री-व्हीलर, टू-व्हीलर, घोड़ा गाडी, भैसा बोगी, ट्रैक्टर ट्राली, सरकारी वाहन, एंबुलेस, और इसी प्रकार के अन्य वाहन पार्किंग शुल्क से मुक्त रहेंगे।

**7– पार्किंग शुल्क की क्षतिपूर्ति**– यदि किसी आकस्मिक स्थिति में रूट के प्राइवेट वाहन बन्द हो जाते है अथवा नगर पंचायत के किसी निर्णय से ठेकेदार को पार्किंग शुल्क वसूली में क्षति होती है, या ऐसे ही किसी अन्य परिस्थिति से वसूली शुल्क में कमी आती है, तो नगर पंचायत बोर्ड द्वारा ठेकेदार को क्षतिपूर्ति हेतु, ठेके की धनराशि में कमी करने का अधिकार होगा।

**8– क्षतिपूर्ति दावा हेतु प्रक्रिया**– क्षतिपूर्ति के किसी भी दावे पर निर्णय करने हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा।

1– ठेकेदार अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना-पत्र नगर पंचायत कार्यालय में देना होगा। जिसमे पार्किंग शुल्क वसूली की अनुमानित क्षति एवं उसके कारणों का स्पष्ट विवरण दर्ज होगा। जुर्माना की दर वही रहेगी जो कि इस उपविधि के उपरोक्त प्रावधानों में दी गयी है। जुर्माना की दर में 10% की वृद्धि प्रत्येक 3 साल बाद स्वतः ही हो जायेगी।

2– उक्त प्रार्थना-पत्र पर अधिशासी अधिकारी के द्वारा गुण दोष के आधार पर विचार किया जायेगा। प्रार्थना-पत्र को स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी को होगा। यदि प्रार्थना-पत्र को अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो उसे बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा। बोर्ड द्वारा बहुमत के आधार पर उस पर निर्णय लिया जायेगा। जो कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

**9– शमन**– इस उपविधि के अन्तर्गत लगाये गये किसी भी दण्ड को पूर्णतः या आंशिक रूप से शमन करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा जो, कि अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

**10– सक्षम प्राधिकारी**– इस उपविधि को लागू कराने हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी होगा।

**11– निरसन**– इस उपविधि के लागू होने के पश्चात निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

**12–दण्ड–**

1– जो भी व्यक्ति इस उपविधि के किसी भी प्रावधान का उलंघ्घन करता है तो वह जुर्माना अथवा वाहन जब्तीकरण अथवा दोनों प्रकार से दण्ड का भागी होगा। जुर्माना की धनराशि अदा न करने पर जुर्माना नगर पालिका अधिनियम 1916 के अध्याय 6 में दी गयी रीति से वसूला जायेगा।

2– जुर्माना अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा वसूला जायेगा।

जितेन्द्र राणा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत जलालाबाद,
जनपद शामली।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम स्वेक्षा अग्रवाल (SWEKSHA AGRAWAL) पुत्री श्री अभिषेक अग्रवाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0– 2527 8861 5048 में उसका नाम खुशी अग्रवाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम स्वेक्षा अग्रवाल (SWEKSHA AGRAWAL) पुत्री श्री अभिषेक अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अभिषेक अग्रवाल,
एस/9/2/1बी हुकुलगंज,
दैत्रा बाबा मन्दिर के पास,
वाराणसी, उ0प्र0।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभिनव वर्मा पुत्र संतलाल वर्मा है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 6450 6205 7888 में उसका नाम पार्थ वर्मा अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है।

भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिनव वर्मा पुत्र संतलाल वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्ताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

संतलाल वर्मा,
पता– ग्राम बॉस गांव, पो0हुण्डरा,
कुँवर, तहसील हरैया जिला बस्ती।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड क्रमांक 4692 6346 6541 में मेरी पुत्री का घरेलू नाम त्रुटिवश प्रेरणा (PRERNA) अंकित हो गया है जबकि मेरी पुत्री का सही एवं शुद्ध नाम अयन्ती (AYANTI) है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों सहित अन्य सभी अभिलेखों में अंकित है।

सोहन सिंह,
पुत्र लखीमचन्द्र,
निवासी–ग्राम वाहिदपुर, पोस्ट जैतपुर,
थाना जहानगंज, तहसील फर्रूखाबाद।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम यश श्रीवास्तव पुत्र प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र का आधार कार्ड सं0–8185 9298 3910 में उसका नाम अभिनव श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र का उसके सही नाम यश श्रीवास्तव पुत्र प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत्दद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव,
39 ए0 रसूलाबाद नियर,
ज्वाला देवी इण्टर कालेज तेलियरगंज,
प्रयागराज।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम यात्विक सिंह पुत्र अजय भान सिंह है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है । त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–7778 7514 3891 में उसका नाम शान्तनु सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उनके सही नाम यात्विक सिंह पुत्र अजय भान सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अजय भान सिंह,
निवासी– ग्राम सेमरा (शिवपुर),
पो0 सहसो, थाना सरायइनायत,
प्रयगराज उ0प्र0।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम रधुवर कुमार चतुर्वेदी (RAGHUVER KUMAR CHATURVEDI) है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, और शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंक पत्र (अनुक्रमांक–23226195) में मेरे पिता का नाम आर0 के0 चतुर्वेदी (R.K. CHATURVEDI) हो गया है, जो कि गलत है।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

यश वर्धन चतुर्वेदी,
राम रहीम कालोनी, मकान नं0 10,
मलाक रोड, विजय नगर, सेक्टर–ए,
नीलमथा, लखनऊ।

## सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंश यादव पुत्र बैजनाथ यादव है जो मेरी शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या–3234 0124 4494 में मेरा नाम जितेन्द्र यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंश यादव पुत्र बैजनाथ यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्दद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अंश यादव पुत्र बैजनाथ यादव,
निवासी-सुरहियां, धरवार, सहतवार,
सुहिंया, तालुका बासडीह, बलिया,
उत्तर प्रदेश।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य यादव पुत्र सतीश चन्द यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–2498 1189 9524 में उसका नाम सत्यवीर यादव अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्य यादव पुत्र सतीश चन्द यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सतीश चन्द यादव,
पुत्र प्रकाशा नन्द यादव,
निवासी ग्राम सिकरियां कला,
तहसील–रसड़ा, जनपद बलिया।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरी पुत्री का सही नाम राभ्या मेहरोत्रा पुत्री गौरव मेहरोत्रा है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–9612 5445 9696 में उसका नाम सावरी मेहरोत्रा (SAAVRI MEHROTRA) अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम राभ्या मेहरोत्रा (RABHYA MEHROTRA) पुत्री गौरव मेहरोत्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

गौरव मेहरेात्रा,
पता–838 लालबाग, सीतापुर।

## सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अयान इदरीसी (Ayan Idrisi) पुत्र अबुल कलाम है जो हमारे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे

हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक–23189926) में मेरा नाम अयान अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अयान इदरीसी पुत्र अबुल कलाम के नाम से जाना पहचाना जाय।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अयान इदरीसी,
पश्चिमी कौड़िया शाहगंज,
जौनपुर।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम नृपेन्द्र भट्ट पुत्र राम कृपाल भट्ट है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं। त्रुटिवश मेरे पुत्र का आधार कार्ड संख्या–6635 2213 3018 में उसका नाम ''शान्तनू'' अंकित हो गया है जो घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम नृपेन्द्र भट्ट के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राम कृपाल भट्ट,
पुत्र हीरालाल भट्ट,
ग्राम व पोस्ट–कोठा, तहसील–बांसगांव,
जनपद–गोरखपुर, उ0प्र0।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनामिका पुत्री बीरेन्द्र सिंह है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण व जाति प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0 3101 4886 4113 में मेरा नाम अहामिका अंकित हो गया है। जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनामिका पुत्री बीरेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिक्तायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनामिका पुत्री बीरेन्द्र सिंह,
निवासी–पीपरगांव,
जनपद कानपुर नगर।

## सूचना

मेरे पुत्र का सही नाम विहान पटेल पुत्र मनोज कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–7409 9709 4099 में उसका नाम अंश अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विहान पटेल पुत्र मनोज कुमार के नाम से जाना पहचाना जायेगा।

एतद्द्वारा द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मनोज कुमार,
पुत्र स्व0 गंगाचरन,
निवासी ग्राम कसेरूवा,
थाना-कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

## सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ऋषांक श्रीवास्तव है जो कि उसके आधार कार्ड व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, मैने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम ऋषांक श्रीवास्तव से बदल कर विराट श्रीवास्तव रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को विराट श्रीवास्तव पुत्र ऋषभ श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

ऋषभ श्रीवास्तव,
पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव,
स्थायी पता–11 के/1 जयरामपुर,
पटपर पुलिस चौकी राजरूपपुर,
के पास प्रयगराज।
वर्तमान पता–एफ0 941 गैलेक्सी नार्थ,
एवेन्यू गौर सिटी–1 ग्रेटर नोयडा,
वेस्ट गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुन्दरी देवी पत्नी रामदेव है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जाँच करायी गयी रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 5061 3444 7118 में मेरा नाम छब्बा पत्नी रामदेव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुन्दरी देवी पत्नी रामदेव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुन्दरी देवी पत्नी रामदेव,
ग्राम व पोस्ट बेलउख, तहसील बाँसी,
जनपद सिद्धार्थनगर, उ0प्र0।

## सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम गुलशन कुमार पुत्र स्व0 दिलीप चन्द्र है, जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 5239 0840 6209 में उसका नाम सिंटू कुमार हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम गुलशन कुमार पुत्र स्व0 दिलीप चन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आशा देवी,
पत्नी स्व0 दिलीप चन्द्र,
नन्दौली, चित्तापुर, कौशाम्बी,
सराय अकील, उत्तर प्रदेश।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदर्श जायसवाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–4796 1821 8447 में उसका नाम शनि अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदर्श जायसवाल पुत्र महेश चन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

महेश चन्द्र पुत्र श्रीराम,
ग्राम राजाबारी, तप्पा, पचवारा,
परगना-हवेली, तहसील-कैम्पियरगंज,
गोरखपुर उ0प्र0।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चन्द्रकली पत्नी स्व0 द्वारिका प्रसाद है जो मेरे निर्वाचन कार्ड तथा खतौनी और कुटुम्ब परिवार रजिस्टर में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–4766 6201 6262 में मेरा नाम चंदा देवी हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम चन्द्रकली पत्नी स्व0 द्वारिका प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

चन्द्रकली,
पत्नी स्व0 द्वारिका प्रसाद,
नि0–ग्राम बहरामई,
पोस्ट तिवारीपुर, तहसील कुण्डा,
जनपद–प्रतापगढ़ उ0प्र0।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम भोलानाथ पुत्र स्व0 राम लाल है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है LAUREL ORGANICS LTD. शेयर सर्टिफिकेट जो अब KIMIA BIOSCIENCES LIMITED; के नाम

से परिवर्तित हो गया है। सर्टिफिकेट संख्या–458200 से 4582100 में मेरा नाम त्रुटिवश भोलानाथ गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। उपरोक्त दोनो ही नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम भोलानाथ पुत्र स्व0 राम लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

भोलानाथ,
पता–284/ तेलियरगंज प्रयागराज, उ0प्र0,
नियर टी0बी0 कालोनी एवं रेलवे ट्रैक।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभ्युदय सिंह पुत्र विशाल सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–4714 6707 0185 में उसका नाम समर अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभ्युदय सिंह पुत्र विशाल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विशाल सिंह,
पुत्र श्री रामाधीन सिंह,
6/11 शिव नगर अल्लापुर, प्रयागराज।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनामय दूबे है, जो शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या–9869 8844 7661 में उसका नाम अथर्व दूबे अंकित हो गया है, जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को सही नाम अनामय दूबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अरूण कुमार दूबे आत्मज ओंकार दूबे,
निवासी–चक कठवारी डीह, चंदेसर,
आजमगढ, उ0प्र0।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कार्तिक प्रजापति (Kartik Prajapati) पुत्र उमेश कुमार प्रजापति है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0–2695 3536 9835 में उसका नाम कार्तिक प्रजापति (Kartik Prajaati) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कार्तिक प्रजापति (Kartik Prajapati) पुत्र उमेश कुमार प्रजापति के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

उमेश कुमार प्रजापति,
निवासी 838 दरियाबाद, कोहराना,
प्रयागराज (उ0प्र0)।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम नितिश कुमार/NITISH KUMAR पुत्र दिनेश कुमार/DINESH KUMAR है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–3213 0437 9489 में उसका नाम महेश कश्यप अंकित हो गया हे जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम नितिश कुमार/NITISH KUMAR पुत्र दिनेश कुमार/DINESH KUMAR के नाम से जाना व पहचाना जाय।

दिनेश कुमार पुत्र राम निहोर,
ग्राम डवक (मुरेराडीह),
परगना भुईली, तहसील चुनार,
जिला मीरजापुर।

## सूचना

सूचित किया जाता है कि मैं पंकज जैन पुत्र स्व0 धर्म चन्द्र जैन निवासी–603ए/341/22बी शास्त्री नगर, प्रयागराज का निवासी हूँ। मेरी पुत्री का सही नाम दिव्यांशी जैन है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या–8714 5163 2343 में उसका नाम–रिद्वी जैन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम ''दिव्यांशी जैन पुत्री पंकज जैन'' के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पंकज जैन,
पुत्र स्व0 धर्म चन्द्र जैन,
पता– 603 ए/341/22 बी,
शास्त्री नगर, सदियापुर, प्रयागराज।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरी पुत्री का सही नाम अंशिका चतुर्वेदी पुत्री अरूण प्रकाश चतुर्वेदी है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री का आधार कार्ड संख्या–6883 9421 9425 में उसका नाम हिमांशी चतुर्वेदी अंकित हो गया है, जो कि गलत है, भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अंशिका चतुर्वेदी पुत्री अरूण प्रकाश चतुर्वेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अरूण प्रकाश चतुर्वेदी,
पुत्र-मुक्तिनाथ चतुर्वेदी,
ग्राम जलालपुर पो-मोलनापुर,
जिला आजमढ़।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजेन्द्र कुमार केसरवानी है जो कि मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड पर अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक 23277831/2024 में मेरा नाम राजेन्द्र कुमार गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजेन्द्र कुमार केसरवानी,
106 मुण्डेरा बाजार,
प्रयागराज।

## NOTICE

I, Neha Singh declare that my name is Neha Singh, my mother's name is Sangeeta Singh, and my father's name is Prathvi Raj Singh. Which is correct and is also mentioned in all my government documents. Due to mistake, my and my mother's surname Kushwaha and father's name Ram Kumar Kushwaha have been mentioned in my 10th and 12th CBSE board marksheet with roll numbers 23193075 and 23708048. Which is wrong.

Neha Singh
182 Eldeco Shaurya,
Chandraval Sarojni Nagar, Lucknow
Uttar Pradesh-226002.

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बालाजी बेवरेजेज, ई-35 साइट सी UPSIDC. इंडस्ट्रियल एरिया सिकंदरा आगरा-282007 का व्यवसाय स्थल बदल कर 23 दिसम्बर, 2024 को अब नया व्यवसाय स्थल गाटा नं0 453, एक किलोमीटर दूर किरावली रूनकता रोड से, सिकंदरा, आगरा उत्तर प्रदेश-282007 हो गया है। वर्तमान में मेसर्स बालाजी बेवरेजेज का व्यवसाय स्थल गाटा नं0 453, एक किलोमीटर दूर किरावली रूनकता रोड से, सिकंदरा, आगरा उत्तर प्रदेश-282007 है।

अमित गर्ग,
साझेदार,
मेसर्स बालाजी बेवरेजेज, आगरा।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स–आर0आर0 इन्टरप्राइजेज, म0नं0 451, गौरी बाजार, सरोजनी नगर, अमौसी, लखनऊ 226008 रजि0 नं0–202149 का पंजीकरण दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 को कराया गया था जिसमें राजन यादव प्रथम एवं राज कुमार द्वितीय साझीदार है, हम दोनों साझेदारों द्वारा स्वेच्छा से उपरोक्त फर्म को दिनांक 10 मार्च, 2025 को विघटित कर दिया है तथा इस फर्म से हम दोनों साझेदारों का कोई लेना–देना नहीं होगा। फर्म पर किसी भी प्रकार की कोई देनदारी नही है। फर्म सभी देनदारियों से मुक्त है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजन यादव,
साझेदार,
मेसर्स आर0 आर0 इन्टरप्राइजेज।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ट्राइंफ इंटरप्राइजेज 298, पुर्दिलपुर निकट सावित्री हॉस्पिटल जनपद गोरखपुर उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 20 जून, 2015 से श्री राधे श्याम सिंह, श्रीमती रेणुका मल्ल, श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बैज नाथ सिंह, श्री गिरीश सिंह, श्री दिनेश सिंह व श्री राज किशोर सिंह एवं श्रीमती अंकिता सिंह जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्मस् सोसाइटिज एवं चिट्स गोरखपुर में पत्रावली सं0 जी–4357 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदार श्री बैज नाथ सिंह जी की मृत्यु दिनांक 28 अप्रैल, 2024 को हो चुकी है तथा साझेदारी डीड दिनांक 28 मई, 2024 से श्रीमती सुभद्रा देवी, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री रामपाल सिंह, श्री कृष्ण पाल सिंह, श्री अमरपाल सिंह, व श्रीमती पुष्पा सिंह एवं श्री चन्द्र भान सिंह जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुए है, अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री राधे श्याम सिंह, श्रीमती रेणुका मल्ल, श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह, श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री गिरीश सिंह, श्री दिनेश सिंह, श्री राज किशोर सिंह, श्रीमती अंकिता सिंह, श्रीमती सुभद्रा देवी, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री रामपाल सिंह, श्री कृष्ण पाल सिंह, श्री अमरपाल सिंह, व श्रीमती पुष्पा सिंह एवं श्री चन्द्र भान सिंह जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

श्री राधे श्याम
साझेदार,
मेसर्स ट्राइंफ इंटरप्राइजेज 298,
पुर्दिलपुर निकट सावित्री हॉस्पिटल,
जनपद गोरखपुर उ0प्र0।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सुभाष चन्द्र अग्रवाल पता– सदभावना कॉलोनी (सेन्ट मारिया स्कूल के पास) लाल फाटक पो-उमरसिया जिला बरेली उत्तर प्रदेश जिसकी पंजीकरण सं0–BAR/0003364 है। उपरोक्त फर्म दिनांक 04 मई, 2019 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है। उपरोक्त फर्म मेसर्स सुभाष चन्द्र अग्रवाल में साझेदारों द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2025 से अपनी फर्म का पता 164 सिविल लाईन्स बरेली से बदलकर सदभावना कॉलोनी (सेन्ट मारिया स्कूल के पास) लाल फाटक, पो–उमरसिया जिला बरेली उत्तर प्रदेश कर लिया गया है। उपरोक्त फर्म में एक नये साझेदार श्री उत्कर्ष राज पुत्र श्री भोग राज निवासीगण सदभावना कॉलोनी सेन्ट मारिया स्कूल के पास लाल फाटक पो0 उमरसिया जिला बरेली दिनांक 08 फरवरी, 2025 को ही पूर्व साझेदार की सहमति से व स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे है व उपरोक्त नये साझेदार के सम्मिलित होने के पश्चात फर्म से साझेदार श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व0 बाल मुकुन्द अग्रवाल, निवासी-164, सिविल लाइन्स बरेली उत्तर प्रदेश दिनांक 08 फरवरी, 2025 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्त साझेदार का फर्म पर व फर्म का सेवानिवृत्त साझेदार पर कोई बकाया शेष नहीं है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल दो साझेदार क्रमशः श्री भोग राज 2. उत्कर्ष राज साझेदार है।

भोग राज,
साझेदार,
मेसर्स सुभाष चन्द्र अग्रवाल,
पता-सदभावना कॉलोनी,
(सेन्ट मारिया स्कूल के पास) लाल फाटक,
पो-उमरसिया जिला बरेली उत्तर प्रदेश।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि M/s GUR KRIPA HOLDINGS, 266/7, Thapar Nagar, Meerut 250001 की साझीदारी में श्री देवेन्द्र सिंह ओबराय एवं श्रीमती रमनीत कौर ओबराय साझीदार थे। दिनांक 01 फरवरी, 2025 को देवेन्द्र सिंह एण्ड सन्स फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए तथा श्री देवेन्द्र सिंह ओबराय फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब–किताब ले–देकर अलग हो गये हैं दिनांक 01 फरवरी, 2025 की साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्रीमती रमनीत कौर ओबराय एवं देवेन्द्र सिंह एण्ड सन्स साझीदार है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताए स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

श्रीमती रमनीत कौर ओबराय,
साझीदार
M/s GUR KRIPA HOLDINGS,
266/7, Thapar Nagar, Meerut 250001.

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स ए0जी0आर0 एन्टरप्राईजेज, म0नं0–405, विकास कुंज, काकराही, डिबियापुर, जिला औरेया–206244 की साझीदारी में श्रीमती अनुराधा गौतम, श्री रोहित कुमार एवं श्री गौरव कुमार साझीदार थे। दिनांक 10 मार्च, 2025 (प्रभावी दिनांक 01 मार्च, 2025) को श्री रोहित कुमार फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले देकर अलग हो गये है। दिनांक 10 मार्च, 2025 (प्रभावी दिनांक 01 मार्च, 2025) की साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्रीमती अनुराधा गौतम एवं श्री गौरव कुमार साझीदार है। एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अनुराधा गौतम
साझीदार
मेसर्स ए0जी0आर0 एन्टरप्राईजेज,
म0नं0–405, विकास कुंज, काकराही,
डिबियापुर, जिला औरेया–206244

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स नीलकण्ठ रोड लाईन्स, भगवान नगर, देहली रोड, हापुड़, जिला हापुड़ की साझीदारी में श्री विकास गोयल, श्री नितिन खंडूजा एवं श्री विनोद कुमार साझीदार थे। दिनांक 19 मार्च, 2025 (प्रभावी दिनांक 01 मार्च, 2025) श्री विनोद कुमार फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब–किताब ले देकर अलग हो गये है। दिनांक 19 मार्च, 2025 (प्रभावी दिनांक 01 मार्च, 2025) की साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में श्री विकास गोयल एवं श्री नितिन खंडूजा साझीदार है दिनांक 19 मार्च, 2025 (प्रभावी दिनांक 01 मार्च, 2025) के अनुसार फर्म के साझीदार श्री विकास गोयल का निवास का पता 18, ज्ञान लोक, फ्रीगंज रोड, हापुड़, जिला हापुड़ उ0प्र0 245101 हो गया है। एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विकास गोयल,
साझीदार,
मेसर्स नीलकण्ठ रोड लाईन्स,
भगवान नगर, देहली रोड, हापुड़,
जिला हापुड।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स के0 के0 एस0 ग्लोबल इन्फ्रा पता सी 313 टावर सी थर्ड फ्लोर नोएडा वन प्लाट नं0 8 ब्लाक बी सेक्टर 62 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश की पार्टनरशिप दिनांक 14 मई, 2021 को हुई थी जिसमें हम क्रम से तीन पार्टनर थे। 1. श्रीमती रीतू रमन पत्नी श्री चंद्र भानु रमन 2. श्री चंद्र भानु रमन पुत्र श्री कमेश्रवर प्रसाद 3. श्री अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव थे। फर्म की संशोधित साझीदारीनामा डीड दिनांक 13 सितम्बर, 2024 की साझेदारी के अनुसार साझेदार नं0 3. श्री अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गये है तथा इनका इस फर्म से कोई

लेना देना व बकाया नही है तथा अब इनके स्थान पर दिनांक 13 सितम्बर, 2024 को नये साझेदार श्री कृष्णा मुरारी पुत्र श्री चंद्र भानु रमन स्वेच्छा से इस फर्म में नये साझेदार आये है। तथा अब इस फर्म में अब क्रम से तीन पार्टनर हो गये है। 1. श्रीमती रीतू रमन पत्नी श्री चंद्र भानु रमन 2. श्री चंद्र भानु रमन पुत्र श्री कामेश्रवर प्रसाद 3. श्री कृष्णा मुरारी पुत्र श्री चंद्र भानु रमन हो गये है।

श्रीमती रीतू रमन,
साझेदार

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 श्री योगराज फिलिंग स्टेशन, ग्राम पेंठा गोवर्धन डींग बाईपास गोवर्धन, जिला मथुरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री योगेश अग्रवाल, श्री बृजेश गौर निवासीगण जिला मथुरा हम दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 19 अप्रैल, 2021 को संचालन की थी। दिनांक 05 मार्च, 2025 से श्रीमती ज्योति अग्रवाल पत्नी श्री योगेश अग्रवाल निवासी 16 प्रीति बिहार, चंद्रपुरी, धौली प्याऊ, ज्योति अस्पताल, जिला मथुरा फर्म में साझेदार हो गई एवं श्री बृजेश गौर फर्म से पृथक हो गये है। अब फर्म को श्री योगेश अग्रवाल, श्रीमती ज्योति अग्रवाल हम दोनों साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

योगेश अग्रवाल,
साझेदार।

## सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 मोहिनी एसोशिएट्स, गली कूँचा सुनारान, होली गेट, मथुरा–281001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह कि दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 को श्री पूरन शर्मा पुत्र श्री भैरों प्रसाद शर्मा निवासी–2/63 ग्राउण्ड फ्लोर स्ट्रीट नं0–2 निकट गुरूद्वारा ललिता पार्क लक्ष्मी नगर, ईस्ट दिल्ली–110092 को भागीदार की हैसियत से फर्म में सम्मिलित कर लिया गया है। तथा उक्त दिनांक से श्री जगपाल सिंह पुत्र श्री रोशन सिंह, निवासी–नगला थोक, छाता मथुरा फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये है। अब फर्म में श्री दिनेश कुमार मिश्रा तथा पूरन शर्मा साझेदार है।

दिनेश कुमार मिश्रा,
भागीदार,
मे0 मोहिनी एसोशिएट्स,
गली कूँचा सुनारान, होली गेट,
मथुरा–281001

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स कामर्शियल मोटर्स, 84/105, जी0टी0रोड, कानपुर (उत्तर प्रदेश)–208003 के भागीदार मेसर्स कामर्शियल मोटर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 01 अप्रैल, 2024 से स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से सेवानिवृत्ति ले ली है। अब फर्म में श्रीमती सरिता गुप्ता, शिवम गुप्ता एवं श्री शुभम गुप्ता ही भागीदार है।

शिवम गुप्ता,
भागीदार,
कामर्शियल मोटर्स।

## सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स राज इंफ्रा डेवलपर्स, 14, यू0 एफ0जी0, मोती मंजिल, राधिका विहार फेस–2 मथुरा के भागीदारों में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 से पूर्व भागीदार 1. श्री राजत अग्रवाल पुत्र श्री चरन दयाल अग्रवाल (तृतीय पक्ष) एवं 2. शुर्भी अग्रवाल पुत्री श्री चरन दयाल अग्रवाल (चतुर्थ पक्ष) निवासीगण– सी–79, आनन्द धाम कॉलोनी, नियर इन्कम टैक्स ऑफिस, मथुरा 3. श्री सुभाष चरन अग्रवाल पुत्र श्री राधा बल्लभ अग्रवाल (पंचम पक्ष) निवासी– सी–3, श्री राधापुरम् कॉलोनी, गणेशरा रोड, एन0 एच0–2, कृष्णा नगर, मथुरा, 4. श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री राधा बल्लभ अग्रवाल (छटवा पक्ष)

निवासी–155, जगदम्बा कॉलोनी, नियर यमुना ब्रिज, मथुरा एवं 7. अदिति अग्रवाल पुत्री श्री चरन दयाल अग्रवाल (सप्तम पक्ष) निवासी– सी–79, आनन्द धाम कॉलोनी, नियर इन्कम टैक्स ऑफिस, मथुरा अपनी स्वेच्छा से उक्त फर्म की सझेदारी से अलग हो गये है। अब फर्म में श्री चरन दयाल अग्रवाल व श्रीमती मंजू अग्रवाल ही भागीदार रह गये है।

चरन दयाल अग्रवाल,
भागीदार,
मेसर्स राज इंफ्रा डेवलपर्स,
14, यू0एफ0जी0, मोती मंजिल,
राधिका विहार फेस–2 मथुरा।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स दी तारा रिसोर्ट, सिक्टौर चौराहा रानी डीहा रोड, वामिका सुपर बाजार के सामने जनपद गोरखपुर उ0प्र0 नामक फर्म मे साझेदारी डीड दिनांक 08 नवम्बर, 2024 से श्री बृज किशोर व श्री अभिषेक गुप्ता एवं श्री अनुराग गुप्ता जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं0 GOR/0019764 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 16 जनवरी, 2025 से इरफान अली सिद्दीकी पुत्र अली हसन जी उक्त फर्म में चतुर्थ साझेदार के रूप में शामिल हो चुके है। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री बृज किशोर, श्री अभिषेक गुप्ता व श्री अनुराग गुप्ता एवं इरफान अली सिद्दीकी जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

बृज किशोर,
साझेदार,
मेसर्स दी तारा रिसोर्ट,
सिक्टौर चौराहा रानी डीहा रोड,
वामिका सुपर बाजार के सामने,
जनपद गोरखपुर उ0प्र0।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एम0 एस0 एसोसिएट नामक फर्म में हम तीनों क्रमशः माया श्रीवास्तव 45 प्रतिशत शिवानी श्रीवास्तव 50 प्रतिशत एवं शक्ति शिव 5 प्रतिशत के हिस्सेदार है। यह घोषणा करते है कि माया श्रीवास्तव ने 45 प्रतिशत में 25 प्रतिशत शिवानी श्रीवास्तव को हस्तांतरित कर दी है। हिस्सेदारी की वर्तमान स्थिति माया श्रीवास्तव 20 प्रतिशत शिवानी श्रीवास्तव 75 प्रतिशत शक्ति शिव 5 प्रतिशत है।

शक्ति शिव,
पुत्र श्याम कृष्ण श्रीवास्तव,
(पार्टनर)

पी0एस0यू0पी0–52 हिन्दी गजट–भाग 8–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।